

CONDUCT, DISCIPLINE & APPEAL RULES



१

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ३—उच्च-लघुण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. १६]
No. 16]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी ११, १९८८/पौल २१, १९०९

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 11, 1988/ PAUSA 21, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
देखा जा सके।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation.

पैट्रोलियम और ब्राउनिक गेस संबंधित

नई वित्ती, ११ जनवरी, १९८८

बहिसूचना

सा.का.नि. २०(अ) :—केन्द्रीय सरकार, तेल उद्योग (विकारा) अधिनियम, १९७४ (१९७४ का ४७) की धारा ३१ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

भाग १—प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ —

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम, १९८८ है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

२. लागू होना—ये नियम निम्नलिखित से पिछे बोर्ड के सभी कर्मचारियों को लागू होंगे :—

(i) जो आकस्मिक नियोजन में हैं या चिह्ने आकस्मिकता गिरि से संदाय विद्या जाता है।

(ii) सरकारी सेवक और बोर्ड में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्य करने वाले प्रॉफेशनल सैक्टर उपकरणों के कर्मचारी वहाँ तक के रियाय जहाँ तक नियम ३२ में उपलब्ध किया गया है।

३. परिचापाएँ—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से व्यवधा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से तेल उद्योग (विकारा) अधिनियम, १९७४ (१९७४ का ४७) अधिनियम है;

(ख) “अधीक्षित प्राधिकारी” से ऐसा प्राधिकारी अधिनियम है जो इन नियमों से उपरबढ़ अनुसूची १ में उस रूप में विनियिष्ट है;

- (ग) "निषुक्ति प्राधिकारी" से बोहं अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा प्राधिकारी है जो समय समय पर तात्परित तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (साधारण सेवा शर्त) नियम, 1984 में उस रूप में विनियिट है;
- (घ) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित तेल उद्योग विकास बोर्ड अभिप्रेत है;
- (इ) "अध्यक्ष" से बोहं का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (ज) "सक्षम प्राधिकारी" से कोई ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जो बोहं द्वारा, किसी साधारण या विशेष आवेदा द्वारा, ऐसे आदेश में विनियिट छल्यों का निर्वहन करने या कठितयों का प्रयोग करने के लिये सक्षम है;
- (क) "अनुसासन प्राधिकारी" से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जो इन नियमों से उगाचढ़ अनुशूली 1 में उस रूप में विनियिट है और नियम 24 में विनियिट कोई शासित अधिरोपित करने के लिये सक्षम है;
- (ल) "कर्मचारी" से बोहं के नियोजन में का कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अकस्मिक, निर्धारित-कर्त्ता या आनुचंचिक कर्मचारिवन्द से घिन्न है और जिसके अन्तर्गत बोहं का कोई अधिकारी है।
- (म) किसी कर्मचारी के संबंध में, "कुटुम्ब" के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं :—
- कर्मचारी का, यथास्थिति, पति या पत्नी, जहाँ वह उसके साथ रहती है या नहीं, किन्तु इसके अन्तर्गत, यथास्थिति, ऐसा पति या पत्नी नहीं है जो किसी सक्षम न्यायालय की फिली या आदेश द्वारा ऐसे कर्मचारी से पृथक कर दी गई है;
 - कर्मचारी के पुत्र या पुत्रियों अथवा सौतेले पुत्र या सौतेली पुत्रियों जो उस पर पूर्णतः आधित हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा बालक या सौतेला बालक नहीं है जो अब कर्मचारी पर किसी प्रकार आधित नहीं है या जिसे अधिकारा में रखने से किसी विधि द्वारा या उसके अधीन कर्मचारी को विचित कर दिया गया है;
 - कोई अन्य व्यक्ति जिसकी कर्मचारी से या ऐसे कर्मचारी के, यथास्थिति, पति या पत्नी से, जहाँ रहते या दिवाह के आधार पर नातेपारी है और जो ऐसे कर्मचारी पर पूर्णतः आधित है;
 - "लोक सेवक" के अन्तर्गत कोई ऐसा अधिक है जो भारतीय देव गणिता (1860 का 45) की धारा 21 में उल्लिखित है;

- (ट) "पुरविनोकन प्राधिकारी" से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जो इन नियमों से उपाचढ़ अनुशूली 1 में उस रूप में विनियिट है।

भाग 2—आचरण

- साधारण—(१) प्रत्येक कर्मचारी सभी समयों पर—
 - पूर्ण सत्यनिष्ठ रहेगा;
 - कर्तव्यनिष्ठ रहेगा; और
 - कोई ऐसा बात नहीं करेगा जो किसी कर्मचारी के लिये अप्रोभनीय है।
- प्रत्येक कर्मचारी, क्षत्समय अपने नियंत्रण और प्राधिकार के अधीन सभी कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिये सभी संभव कदम उठायेगा।
- अवचार—"अवचार" शब्द की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जाना, निम्नलिखित कार्यों का किया जाना और उनका लोग अवचार माना जायेगा :—
 - बोहं के कारबाह या संपत्ति के अथवा बोहं के परिवार के शीतर किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति के संबंध में छोरी, कपट या लेदानी।
 - रिस्क लेना या देना अथवा अवैध परित्रोपण।
 - कर्मचारी द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति हारा या ऐसे धन-रानधी साधनों या लंगति का कब्जा जो उसकी आय के ज्ञात स्रोतों की अनुपस्थित है और जिसका वह कर्मचारी समाधानप्रद लेखा-ज्ञोखा नहीं दे सकता है।
 - नियोजन के रामय या नियोजन के धौरान नाम, आधू पिता के नाम, गर्हता, वैवाहिक या पूर्व सेवा या किसी ऐसे अन्य विषय के संबंध में, जो नियोजन से सम्बद्ध है, मिथ्या जानकारी देना।
 - बोहं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करना।
 - आगे बढ़िए के किसी विविधूर्ण और युक्तियुक्त आदेश की, जहाँ अन्य कर्मचारियों के साथ या उसके विना, जानवृकर अनधीनता या अवला।
 - छटी विना अनुपस्थिति अथवा संजूर छटी के उपरान्त, पर्याप्त कारणों या उचित या रामोधानप्रद स्पष्टीकरण के विना, लगातार चार दिन से अधिक के लिए अनुपस्थिति।
 - आम्बासिक देरी या अनिवार्य हाजिरी।
 - कार्य ही अपेक्षा अथवा गतेव्य पालन में उपेक्षा जिसके अन्तर्गत कारण से वचने के लिए देरी बना जाना या धीरे काम करना है।

(10) बोई की किसी संविति को भर्ति ।

(11) बोई के परिसर में या उसके आसपास प्रतिष्ठान परिवर्तन की विद्याएँ या उसके लिए देखा जाएगा ।

(12) बोई के परिसर में या ऐसे परिसर के बाहर मत्तता वयवाकारी या विच्छृंखल या अकिञ्चन व्यवहार जहाँ ऐसे व्यवहार नियोजन से संबंधित या सशक्त हैं ।

(13) स्थापन के परिसर के भीतर जुआ ।

(14) स्थापन के परिसर के भीतर धूमधार जहाँ वह प्रतिष्ठित है ।

(15) बोई के परिसर के भीतर किसी घन का, राजमन्त्र प्राधिकारी की अनुज्ञा के लिए, तब के सिवाय संग्रहण या भूत्समय प्रत्युत्त देश की किसी विधि या बोई के नियमों द्वारा उसे गंजूरी प्राप्त है ।

(16) कर्तव्य परहोते हुए रोगा ।

(17) बोई ऐसे कार्य करना जो किसी दर्शक के अपराध की कोटि में आता है और जिसमें नैति के विवाद अत्यंतित है ।

(18) अनुज्ञा या पर्याप्त हेतुक के लिए कर्मचारी के कार्य के नियम स्थान से अनुपस्थिति ।

(19) सक्षम प्राधिकारी भी लिखित रूप में अभिव्यक्त अनुज्ञा के लिए, बोई से राष्ट्रिति, मशीनरी, स्टोर वादि का कार्य वयवाकारी बोई को संपत्ति, मशीनरी, स्टोर वादि का विक्रय ।

(20) बोई ऐसा कार्य करना जो अनुशासन या राजाचार के विरुद्ध है ।

(21) किसी कार्य का दुष्प्रेरण या उसके दुष्प्रेरण का ग्रावन जो वयवाचार की कोटि में आता है ।

6. बोई का प्रथम प्राप्त किसी कंपनी या कर्मचारियों के निकट नियोजन का नियोजन ।

(1) बोई भी कर्मचारी बोई का प्रथम प्राप्त किसी रूपकी या कर्मचारी में अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने पद या असंस का प्रयोग नहीं करेगा ।

(2) बोई जो बोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के लिए, अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य को किसी ऐसी कंपनी या कर्मचारी में जिसके साथ उसका आसकीय व्यवहार होता है, या किसी ऐसी कंपनी या कर्मचारी में जिसका बोई के साथ आसकीय व्यवहार होता है, नियोजन स्वीकार करने की अनुज्ञा नहीं देगा :

परन्तु जहाँ नियोजन की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती है तो नियोजन, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन रहते

हुए, जिससे मायले की रिपोर्ट तुरन्त दी जाएगी, असत्यपरिवर्तन का रूप से स्वीकार किया जा सकेगा ।

(3) कोई भी कर्मचारी, अपने पतीय कर्तव्यों के निर्वहन में, किसी कंपनी या कर्मचारी व्यवहार नहीं करेगा या उसे कोई संविदा नहीं देगा या उसकी मंजूरी नहीं देगा यदि उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य उस कंपनी या कर्मचारी या उस व्यवहार के अधीन नियोजित है या धृति उसका या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य को ऐसे किसी विषय या संविदा में किसी अन्य प्रकार का कोई हित है और वह कर्मचारी ऐसा प्रत्येक विषय या संविदा अपने आसकीय व्यवहार को निवेशित करेगा और उत्तराश्वास ऐसे विषय या संविदा का निपटाश, उस प्राधिकारी के, जिसे निर्देश किया गया है, अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा ।

7. प्रदर्शन और हड्डताले में जाग लेना—कोई भी कर्मचारी—

(1) कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं करेगा या उसमें भाव नहीं लेगा जो भारत की अभूता और अलंकृत, राज्य की अनुज्ञा, विदेशी राज्यों के साथ मौतीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिल्पाचार या सदाचार पर प्रतिकूल प्रभाव डालते थे वा जिसमें व्याधालय का व्यवसाय या मानवानि या अपराध उद्योग असंवित है, या

(2) अपनी रोबा से या किसी अन्य कर्मचारी की सेवा से संबंधित किसी बात के संबंधित किसी भी किसी प्रकार भी हड्डताल या प्रपीड़न या झारीरिक विवाद्यता का प्रयोग नहीं करेगा या उसके लिए किसी प्रकार से दुष्प्रेरण नहीं करेगा ।

8. प्रेस, रेडियो या दूरदर्शन से संबंध (1) कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के लिए, किसी समाचार पत्र या अन्य नियतकालिक प्रकाशन का पूरण या जाग नहीं लेगा या किसी समाचार पत्र या नियतकालिक प्रकाशन को अपने नाम से या अनाम या छव्वें नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से कोई लेख नहीं देगा या पत्र नहीं लिखेगा :

परन्तु ऐसी किसी भंजूरी की अपेक्षा नहीं की जाएगी यदि ऐसा रेडियो प्रसारण या दूरदर्शन प्रसारण या लेख पूर्ण रूप से भावित्यक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति का है ।

9. सरकार और बोर्ड की आलोचना—कोई भी कर्मचारी, किसी ऐडियो प्रसारण या दूरदर्शन प्रसारण में या अपने नाम से या अनाम या छहम नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रकाशित किसी दस्तावेज में या प्रेस को किसी संसूचना में या किसी जारीजनक विषय में कोई ऐसा कथन नहीं करेगा—

(क) जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या बोर्ड की किसी नीति या कार्रवाई की प्रतिकूल आलोचना हो;

(ख) जिससे बोर्ड और जनता के अपनी रांगों में कोई उलझन पैदा हो;

परन्तु इस नियम की कोई भी वात, किसी कर्मचारी द्वारा अपनी परीय हीसियत में और उसे समनुदिष्ट कर्तव्यों के राम्पक पालन में पूर्ण रूप से तथ्यात्मक प्रकृति के किए गए किसी कथन या अभियवत्त किए गए विचारों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और यह कि इस खंड में अंतिमिष्ट कोई भी वात, सद्भावपूर्वक अभियवत्त किए गए उसके ऐसे विचारों को लागू नहीं होगी जो उसने किसी मान्यता प्राप्त संघर्ष के पदाविकारी के रूप में ऐसे कर्मचारियों वीरों की शर्तों की तुलना के प्रयोजन या उनमें सुधार सुनिश्चित करने के लिए व्यक्त किए हों।

10. रायित या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य देना—

(1) उपनियम (3) में जैसा उल्लिखित है उसके सिवाय, कोई भी कर्मचारी, राक्षम प्राधिकारी की पूर्व संजूरी के विना, किसी व्यक्ति समिति या प्राधिकारी हाल संचालित किसी जांच के संबंध में साक्ष्य नहीं देगा।

(2) जहाँ उपनियम (1) के अधीन कोई भंजूरी दी गई है वहाँ साक्ष्य देने वाला कर्मचारी, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या बोर्ड की नीति या किसी कार्रवाई की आलोचना नहीं करेगा।

(3) इस नियम की कोई भी वात,—

(क) केन्द्रीय सरकार, संसद या किसी राज्य विधान-भंडल या बोर्ड द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष जिसी जांच में;

(ख) किसी न्यायिक जांच में; या

(ग) बोर्ड द्वारा आविष्ट किसी विभागीय जांच में, विए गए साक्ष्य को लागू नहीं होगी।

11. जानकारी की अप्राधिकृत संगूत्वा—कोई भी कर्मचारी, कोई यात्रकीय दस्तावेज या उसका कोई भाव या जानकारी किसी ऐसे कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसे ऐसी दस्तावेज या जानकारी संसूचित करने के लिए वह गांधिकृत नहीं है, बोर्ड के साधारण या विशेष अवेदन के अनुसार

ये उसे समनुदिष्ट कर्तव्यों के सद्भावपूर्वक बालत में ही, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संसूचित करेगा, अस्थान नहीं।

12. दाता—

(1) इन नियमों में जैसा अस्याहा उल्लिखित है उसके सिवाय, कोई कर्मचारी, न तो, कोई दान स्थीकार करेगा और न अपने कुटुम्ब के किसी अन्य सदस्य को अध्यवापनी और से कार्य कर रहे किसी अन्य व्यक्ति को, स्वीकार करने की अनुज्ञा देगा।

लाईटीनिंग :—“दाता” शब्द के अंतर्गत भूपत परिवहन बोर्ड, निवारा या अन्य सेवा या कोई अन्य धन-संबंधी फायदा है, जब वे किसी निकट नातेवार या वैयक्तिक मित्र से, जिनका कर्मचारी के साथ कोई शासकीय अध्यवाहार न हो, जिन किसी व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए जाएँ।

(2) विवाहों, वायिक समारोहों, अंत्येष्टियों और धार्मिक छठ्यों जैसे शावारों पर जब दान देने धर्मिक या सामाजिक श्रीतयों के अनुरूप है, कोई कर्मचारी निकट नातेवार या दान स्वीकार कर सकेगा, किन्तु यदि किसी ऐसे दान का मूल्य 500 रु. से अधिक है तो वह उसकी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को देगा।

(3) ऐसे शब्दसरों यर, जो उपनियम (2) में विविध लिए गए हैं, कोई कर्मचारी अपने वैयक्तिक मित्रों से, जिनका उसके दोई यात्रकीय अध्यवाहार नहीं है, दान स्वीकार कर सकेगा, किन्तु यदि किसी ऐसे दान का मूल्य 250 रु. से अधिक है तो वह उसकी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को देगा।

(4) किसी अन्य मामले में, कोई कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना, कोई दान स्वीकार नहीं करेगा अथवा उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य को या अपनी ओर से कार्य कर रहे किसी अन्य व्यक्ति को स्वीकार करने की अनुज्ञा नहीं देगा, यदि उसका मूल्य 250 रु. से अधिक है:

परन्तु जब वारह मारा की अवधि के भीतर एक ही व्यक्ति से एक से अधिक दान प्राप्त किया गया है तब मामले की रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को दी जाएगी, यदि दान का कुल मूल्य 260 रु. से अधिक हो जाता है।

13. दहेज—कोई कर्मचारी—

(i) न तो दहेज देगा, न लेगा, न उसके दिए या लिए जाने का दुष्येतर करेगा; या

(ii) व्यासिकता, वर या वधु के माता-पिता या संरक्षक से, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, किसी दहेज की मांग नहीं करेगा।

लाईकरण :—इस नियम के व्योजनों के लिए, “दहेज” का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिवेद अधिनियम, 1961 (1961 का 28) में है।

14. प्राइवेट बासार या नियोजन—(1) कोई कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व संजूरी के बिना, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी व्यापार या कारबाहर में नहीं लगेगा या

किसी नियोजन के लिए बातचीत नहीं करेगा या उसे ग्रहण नहीं करेगा।

परन्तु कोई कर्मचारी, ऐसी भंजूरी के बिना, सामाजिक या खैराती प्रकृति का अवैतनिक कार्य कर सकेगा, या समाजिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति का यद्यपि कदम किए जाने वाला कार्य कर सकेगा, या अव्यवसायी के रूप में खेल-कुद संबंधी कियाकलप में भाग ले सकेगा, किन्तु शर्त यह होगी कि उससे उसके पदीय कर्तव्यों में कोई भावा न पड़े।

(2) यदि किसी कर्मचारी के कुटुम्ब का कोई सदस्य किसी ध्यापार या कारवार में लगा है या कोई वीमा अधिकरण या कमीशन अधिकरण उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के स्वामित्व या प्रवंध के अधीन है तो वह उसकी रिपोर्ट रक्षम प्राधिकारी को देगा।

(3) कोई कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की फूर्व भंजूरी के बिना, अपने पदीय कर्तव्यों के निवैहन में के सिद्धाय, किसी वेक के या अस्य कापनी के जिसके कापनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या तत्त्वान्य प्रबृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने की अपेक्षा है, अथवा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किसी सहकारी रोपायटी के रजिस्ट्रीकरण उन्नयन या प्रबंध में भाग नहीं लेगा।

परन्तु कोई कर्मचारी, किसी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी या भव्य निर्माण सहकारी रोपायटी के, जो मुख्य रूप से बोड के कर्मचारियों के फायदे के लिए है और सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 (1912 का 2) या तत्त्वान्य प्रबृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है अथवा किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक या खैराती सोसायटी के, जो रोपायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 24) या प्रबृत्त किसी तत्त्वान्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, रजिस्ट्रीकरण, उन्नयन या प्रबंध में भाग ले सकेगा।

(4) कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की भंजूरी के बिना, किसी लोक निकाय या किसी प्राइवेट व्यक्ति के लिए किए थए किसी कार्य के लिए कोई फीस या कोई धन-संबंधी फ़ायदा स्वीकार नहीं करेगा।

15. निनिधान, उधार देना और उधार लेना—कोई भी कर्मचारी किसी वैक, शास्त्रीय जीवन वीगा नियम या किसी छात्रतिप्राप्त फर्म के साथ कारवार के बासूली ग्रन्तकर्म के सिद्धाय किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके साथ उसका आरक्षीय व्यवहार है या भास्तकीय व्यवहार होना संभाव्य है, धन उधार नहीं लेगा या उसको धन उधार नहीं देगा या अन्यथा ऐसे व्यक्ति की धन-संबंधी वाध्यता के अधीन स्वयं को नहीं रखेगा अथवा अपने नाम में या अपने फायदे के लिए या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के फायदे के लिए किसी ऐसे भावार लिए जाने, उधार दिए या धन-संबंधी वाध्यता की अनुज्ञा नहीं देगा।

16. विवालिपापन और आमालिक ऋणता—

(1) कोई कर्मचारी, आमालिक ऋणता से बचेगा यदि उसके तक वह सावित नहीं कर देता है कि ऐसी ऋणता उसके

नियोजन के बाहर की परिस्थितियों का परिणाम है और ऐसी ऋणता उसकी फिजूलजर्चर्ची या अपव्ययी आदतों के कारण नहीं होई है।

(2) कोई ऐसा कर्मचारी, जो विवालिया न्यायनिर्णीत होने के लिए आदेत आरत है या न्यायनिर्णीत विवालिया है या दिवालिया घोषित किया जाता है, उस तथा की रिपोर्ट तुरंत सक्षम प्राधिकारी को देगा।

17. जंगम, स्वावर और भूत्यवान संपत्ति—

(1) कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व भंजूरी के बिना, अपने नाम से या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से किसी स्वावर संपत्ति का, मृद्दु, बंधक, क्रय, विक्रय, द्वारा द्वारा या अत्यन्त अर्जन या धन्यन नहीं करेगा।

(2) कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व भंजूरी के बिना, किसी ऐसे व्यक्ति या कर्म के राय, जिसका ऐसे कर्मचारी या उसके अधीनस्थ के राय शासकीय व्यवहार होता है, किसी राखार या जंगम संपत्ति के संबंध में कोई संव्यवहार नहीं करेगा।

(3) प्रत्येक कर्मचारी, अपने नाम से या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से, उसके स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा धारित अंग संपत्ति से संबंधित प्रत्येक संव्यवहार की सक्षम प्राधिकारी वो रिपोर्ट देगा, यदि ऐसी रापत्ति का मूल्य 2500 रु. से अधिक है।

(4)(i) प्रत्येक कर्मचारी, प्रधम नियुक्ति के समय अपनी आस्तियों और दायित्वों की विवरणी, निम्नलिखित की बाबत विविधियाँ देते हुए, इन नियमों से उपर्युक्त धन-सूची 2 में विविधिष्ठ प्रलिप्त में प्रस्तुत करेगा :—

(क) अपने नाम से या अपने कुटुम्ब के किसी अन्य व्यक्ति के नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से उसे विवासत में प्राप्त, या उसके स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा अर्जित लोग गई या उसके हारा घटे या बंधक पूर धारित स्वावर संपत्ति ;

(ब) उसे विवासत में प्राप्त या इसी प्रकार उसके स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा अर्जित किए गए या धारित द्वेषर, डिवेचर और भक्ती जिसके अंतर्गत वैक निक्षेप हैं ;

(ग) उसे विवासत में प्राप्त या इसी प्रकार उसके स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा अर्जित की गई या धारित कोई जंगम संपत्ति, यदि ऐसी रापत्ति का मूल्य 2500 रु. से अधिक है ;

(घ) उसके द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपर्युक्त और अन्य दायित्व ;

(ii) बोर्ड का प्रत्येक प्राधिकारी, उससे विवासत में प्राप्त/द्वेषर के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा अर्जित की गई स्वावर संपत्ति की विवरणी, धन-सूची 2 में विविधिष्ठ प्रलिप्त में प्रत्येक वो वर्ष में एक बार प्रस्तुत करेगा।

(5) उक्तम प्राधिकारी, किसी भी समय, साधारण या विशेष आदेश हारा, किसी कर्मचारी से, अदित्त में विनियोग अवधि के भीतर, अदेश में उल्लिखित ऐसी जगम या स्थावर संपत्ति को विस्तृत और मुख्य विवरण देने की अपेक्षा कर सकेगा उसमें स्वर्ण या उसकी ओर से उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य ने अंजित या धारण की है। यदि सभी प्राधिकारी अपेक्षा करे तो ऐसे विवरण में उन होतों या साधारों का और दिवा जाएगा जिसमें ऐसी संपत्ति अंजित की गई है।

18. अश्वाराकीय विवरणों द्वारा संचाना या अन्य अस्त्र कोई भी कर्मचारी, बोई के अधीन अपनी सेवा से संबंधित विषयों की बाबत अपने हितों को अप्रसर करने के लिए किसी अल्प प्राधिकारी पर कोई वाहस्त्र असर न हो बलेगा और न डालने का प्रथम करेगा।

19. दिवाराह—(1) कोई भी कर्मचारी, किसी ऐसे विवरण से, जिसका पति या जिसको पत्नी जीवित है, विवाह छोड़ करेगा; और

(2) कोई भी कर्मचारी, जोने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह नहीं करेगा। परन्तु यदि बोई का यह समावाह हो जाता है कि—

(क) ऐसा विवाह ऐसे कर्मचारी और विवाह के अन्य पक्षकार को लाभ स्वीकृति के अधीन अनुज्ञा है; और

(घ) ऐसा करने के लिए अन्य आदेश हैं; तो नह किसी कर्मचारी को, ऐसा करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(3) कोई ऐसा कर्मचारी, जिसने भारतीय राष्ट्रिकता से भिन्न राष्ट्रिकता वाले किसी व्यक्ति से विवाह किया है या करता है तो वह इस तथ्य को सूचना बोई जो तरंत दिया।

20. मात्रक वेष्टों और अंगविरों का उत्तीर्ण—कोई कर्मचारी इस बात का राष्ट्रिक ध्वनि रखेगा कि ऐसे मात्रक पेय या अंगविधि के आदार का उसके कर्मव्यों के पत्नन गों किसी प्रकार का प्रभाव न पहें।

भाग 3. निलम्बन

21. निलम्बन—

(1) नियुक्ति प्राधिकारी या कोई ऐसा प्राधिकारी जिसका वह अधीकरण है या अनुशासनिक प्राधिकारी या कोई अन्य ऐसे प्राधिकारी, जिसे बोई से, साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त यशकुर किया है, किसी कर्मचारी को उस दशा में निलम्बित कर सकेगा जब—

(क) उसके विलुड़ कोई अनुशासनिक लावेवाही अभिकल्पित है या लम्बित है; या

(घ) किसी धार्मिक अवराध की बाबत उसके विचल कोई मामला अन्वेषण, जाँच या विचारण के अधीन है।

(2) यदि किसी कर्मचारी को, चाहे किसी आपराधिक आरोप के लिए या अन्यथा, अड्डतालीस घटे से अधिक की अवधि के लिए उत्तिरिक्त अभिरक्षा में निष्ठ रखा जाता है तो वह ऐसे निरोध की तारीख से निलम्बित किया गया समझा जाएगा।

(3) जहां निलम्बनाधीन कर्मचारी को सेवा से पदच्युत करते या हटाए जाने के लिए अधिरोपित कोई शास्त्र, इस नियमों के अधीन योगील में या पुनर्मिलाकरण में अपास्त कर दी जाती है और मामला अतिरिक्त जाँच या कार्रवाई के लिए या किसी अन्य नियमों के साथ अधिरोपित कर दिया जाता है वहां उसके निलम्बन आदेश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह पदच्युत किए जाने या हटाए जाने के भूल आदेश की तारीख से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निलम्बित कर दिया गया है और आगे आदेश होने तक प्रवृत्त बना रहेगा।

(4) जहां किसी कर्मचारी को रेवा से पदच्युत करने या हटाने के लिए उस पर अधिरोपित कोई शास्त्र ज्यात्यालय के विनियोग के परिणामस्वरूप या उसके द्वारा अपास्त या भूल धोषित कर दी जाती है या बना दी जाती है और अनुशासनिक प्राधिकारी, भाभले की परिरक्षियों पर विचार करते, वह विनियोग करता है कि उसके विचल उन अधिकरणों की, जिन पर पदच्युत किए जाने या हटाए जाने की शास्त्र मूलतः अधिरोपित की गई थी, अतिरिक्त जीव ती जाए वहां कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि वह पदच्युत किए जाने या हटाए जाने के भूल आदेश की तारीख से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निलम्बित कर दिया गया है और आगे आदेश होने तक निलम्बित बना रहेगा।

परन्तु ऐसी किसी अधिरिक्त जीव के लिए कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उसका प्राचंड ऐसी किसी रिधिति से नियमने का नहीं है जिसमें न्यायालय ने मामले के गुणगम पर विचार किए विना पूर्णतः तकनीकी आधारों पर कोई आदेश पारित किया है।

(5) इस नियम के अधीन विधाया या नियमांश समझा गया निलम्बन-आदेश किसी भी समय उस प्राधिकारी द्वारा जिसने अदेश किया या या जिसके बारे में यह समझा जाता है कि उसमें आदेश किया है अथवा उस प्राधिकारी द्वारा जिसके अधीनत्य वह प्रधिकारी है, प्रतिसंहृत किया जा सकेगा।

22. निवाह भजा—

(1) यदि नियम 21 के उपनियम (1) के अधीन किसी कर्मचारी को निलम्बित करने के लिए उक्तम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कर्मचारी किसी अन्य नियोगमें या कार्रवाई या वृत्ति या व्यवसाय में नहीं लगा है तो निलम्बनाधीन कर्मचारी अपने मूल वेतन के पचास प्रतिशत

के बराबर निर्वाह भत्ता लेने का हकदार होगा। इसके तिरिक्त, यदि उक्त प्राधिकारी का यह समझान हो जाता है कि कर्मचारी ऐसे व्यव को पूरा कर रहा है जिसके लिए भत्ता मंजूर किया यथा था तो वह ऐसे निर्वाह भत्ते पर प्रगतिशील महंगाई भत्ता और कोई अन्य ऐसा प्रतिकारात्मक गत्ते वा हकदार हीना जिससे वह निलम्बन की तारीख को प्राप्त कर रहा था।

(2) जहाँ निलम्बन की आवधि छह मास तो अधिक है वहाँ ऐसा प्राधिकारी जिसने निलम्बन आदेश लिया था या जिसके दारे में यह समझा जाता है कि उसने वह आदेश किया है प्रथम छह मास की अवधि की पंश्चात् वर्ती लियी अवधि के लिए निर्वाह भत्ते की रकम में निम्न प्रकार परिवर्तन करने के लिए सकारात्मक होगा:-

(1) यदि उक्त प्राधिकारी की रकम में, निलम्बन की अवधि में ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे ऐसी बढ़ि हुई है जो निलम्बनाधीन कर्मचारी से सीधे संबंधित नहीं है तो निर्वाह भत्ते की रकम गूल बेतन और उस पर भत्तों के 75 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती; या

(2) यदि उक्त प्राधिकारी की रकम में, निलम्बन की अवधि में, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसी बढ़ि हुई है, जो निलम्बनाधीन कर्मचारी से सीधे संबंधित है तो निर्वाह भत्ते की रकम मूल बेतन और उस पर भत्तों के 25 प्रतिशत तक कम की जा सकती।

(3) यदि कोई कर्मचारी किसी दाविक अरोप पर पुसिरा द्वारा निरक्षार किया जाता है और उसकी जमानत मंजूर नहीं की जाती है तो कोई निर्वाह भत्ता संदेश नहीं होगा। जमानत मंजूर हो जाने पर, यदि संदेश प्राधिकारी निलम्बन को जारी रखने का विभिन्नत बताता है तो, कर्मचारी ऐसी तारीख को जिसको उसकी जमानत मंजूर की जाती है, निर्वाह भत्ते वा हकदार होगा।

23. निलम्बन की अवधि के प्रति व्यवहार—

(1) जब निलम्बनाधीन कर्मचारी बहसत कर दिया जाता है तो तक्षण प्राधिकारी उसे निलम्बन की अवधि के लिए निम्नलिखित बेतन और भत्ता मंजूर कर सकता है-

(क) यदि कर्मचारी को मास कर दिया जाता है और निम्न 24 में विविदिष्ट लोहे शास्ति नहीं दी जाती है तो ऐसा पूर्ण बेतन और भत्ते जिसका वह हकदार होता था वह निलम्बन नहीं किया यथा होता, जिसमें से उसे पहले ही संदेश बेतन और भत्ते कम कर दिए जाएंगे; और

(ख) अन्यथा, बेतन और भत्तों को ऐसा भाग जो संदेश प्राधिकारी दिनिंदिष्ट करे।

(2) खंड (क) के अंतर्गत आसे वाले किसी मासमें, कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि को कर्तव्य पर बिताई गई अवधि के लग में मात्रा जाएगा। खंड (ख) के अंतर्गत आसे वाले किसी मासमें, उसे कर्तव्य पर बिताई गई अवधि के लग में नहीं मात्रा जाएगा जब तक उसमें प्राधिकारी द्वारा निर्देश नहीं देता है।

4

24. शास्तियाँ—

किसी कर्मचारी पर निष्ठलिखित शास्तियाँ, उसके हारा किए गए अवधार के लिए या अन्य अन्तर्गत लाइर पर्याप्त कारण से, अधिरोपित की जा सकती हैं—

छोटी शास्तियाँ:

(क) परिविक्षा;

(ख) संचयी प्रभाव सहित या उसके विना बेतन छुट्टियाँ रोकना;

(ग) प्रोक्षण रोकना;

(घ) जोक्षा या आदेशों के भंप से लोड को ड्रॉ किसी धरा संबंधी हानि की बेतन में से पूर्णतः या भावतः ब्रह्मली।

बड़ी शास्तियाँ:

(ड.) किसी निष्ठउत्तर श्रेणी पर वह में या किसी नेतन मात्र में निष्ठनवर प्रक्रम में जानकारी;

(च) सेवा से ऐसा हाटवाया जाना जो भावी विवोजन के लिए निरहृता नहीं होगा;

(झ) पहच्चन्ति।

प्रार्थीकरण—इस नियम के अंदर में निष्ठनविलिङ्ग को शास्ति नहीं माना जाएगा।—

(1) किसी कर्मचारी की बेतनबृद्धि का इस कारण रोका जाना कि उसका कार्य असंतोषप्रद पाया गया है या अपेक्षित रत्तर का नहीं है या वह विहित परोक्षण या परोक्षा उत्तोर्ज बनने में अताकल रहा है;

(2) किसी कर्मचारी कर दक्षतारोध पर करने के लिए उसको उसकी अव्योग्यता के आधार पर बेतनमान में दक्षतारोध पर रोका जाना।

(3) किसी कर्मचारी को, अधिष्ठायी या रथान्वित हीसियत में ऐसे उन्नतर पद पर प्रोक्षण करना जिसने लिए वह उसके मामले पर विचार किए जाने के पश्चात् अनुबयुक्त भाषण जाता है;

(4) किसी उच्चतर श्रेणी या वह में स्थानापन्न रूप से कार्य करने वाले किसी कर्मचारी का निष्ठवृद्ध श्रेणी या वह पर इस आधार पर प्रत्यावर्त्तन कि वह विचारण के पश्चात् ऐसी उच्चतर श्रेणी या

पद के लिए अनुप्रयुक्त समझा जाता है या उसके आचरण से संबद्ध प्रशासनिक आधारों पर प्रत्यवर्तन;

- (5) किसी अन्य श्रेणी या पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त किसी कर्मचारी या उसकी पूर्व श्रेणी या पद पर परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसकी समर्पित पर, उसकी नियुक्ति के निवंधनों के अनुसार प्रत्यवर्तन;
- (6) (क) परिवीक्षा पर नियुक्त किसी कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समर्पित पर, उसकी नियुक्ति के निवंधनों के अनुसार सेवा की समर्पित;
- (ख) संविदा या करार से भिन्न किसी अल्पशील हृसियत में नियुक्त किसी कर्मचारी की ऐसी अवधि की जिसके लिए वह नियुक्त किया गया था, समर्पित पर या उसके पूर्व उसकी नियुक्ति के निवंधनों के अनुसार रोका की रामबालि;
- (ग) किसी संविदा या करार के अधीन नियुक्त किसी कर्मचारी की ऐसी रामबालि या करार के निवंधनों के अनुसार सेवा की समर्पित; और;
- (घ) स्थायित्व में कमी घर किसी कर्मचारी की सेवा की रामबालि।

25. अनुशासनिक प्राधिकारी:

इन नियमों से उपर्युक्त अनुभूति 1 में विनियिष्ट अनुशासनिक प्राधिकारी या कोई उच्चतार प्राधिकारी किसी कर्मचारी पर नियम 24 में विनियिष्ट कोई आस्ति अधिरोपित कर सकेगा।

26. वडी शासितयों अधिरोपित करने के लिए श्रेणियाः

(1) नियम 24 के खंड (इ), खंड (च) और खंड (छ) में विनियिष्ट कोई वडी अतिरिक्त अधिरोपित करने वाला कोई आदेश, इस नियम के अनुसार जांच करने के पश्चात ही आरी किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(2) जब कभी अनुशासनिक प्राधिकारी की वह राय है कि किसी कर्मचारी के विरुद्ध अवचार या कदाचार के किसी लालचन की सत्यता के बारे में जांच करने के लिए आधार है तब उसकी सत्यता की जांच वह स्वर्व करार देना या जांच करने के लिए किसी अधिकारी की (जिसे इसमें इसके पश्चात जांच प्राधिकारी कहा गया है) नियुक्त इस अधिनियम के अधीन कर सकेगा।

(3) जहाँ कोई जांच करने की प्रत्यापना है वहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी, कर्मचारी के विरुद्ध अधिकारी के आधार पर नियुक्त आरोपों की विवरना करेगा। आरोप बोझ साथ ही रूपे अभिकारी का विवरण जिन पर वे अधिरित हैं देसे वस्तावेजों की सूची जिससे और ऐसे साक्षियों की सूची

जिनके हारा आरोप की मदों का प्रभागन किया जाना प्रस्तुतित है, कर्मचारी को लिखित रूप में संसूचित की जाएगी जिससे वह अपेक्षा की जाएगी कि वह वह लिखित कथन कि वया वह आरोप के किन्हीं या सभी व्यारों को स्वीकार करता है या उनमें दूसरा करता है, (15 दिन से अनधिक) ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत करें जो अनुशासनिक प्राधिकारी हारा विनियिष्ट किया जाए।

स्वल्पीकारणः— हर प्रकार यह आरोप की मदों के साथ सूचीबद्ध वस्तावेजों या किन्हीं अवधि वस्तावेजों का कर्मचारी को दर्शित किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

(4) कर्मचारी के लिखित कथन की प्राप्ति पर, या यदि ऐसा कथन विनियिष्ट समय के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो कोई आदेश, अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं या उपनियम (2) के अधीन जांच प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किसी अन्य अधिकारी हारा की जग सकेगी।

परन्तु कर्मचारी हारा अपने लिखित कथन में स्वीकार किए गए आरोपों की वावत जांच करना आवश्यक नहीं होगा। किन्तु अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसे प्रत्येक आरोपों के रांगें में अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

(5) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जांच करता है या कोई जांच करने के लिए किसी जांच प्राधिकारी को नियुक्त करता है वहाँ वह, अदेश हारा, आरोप की मदों के समर्थन में अपनी ओर से पश्चात्प्रस्तुत करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त कर सकेगा जिसका नाम "प्रत्युतीकरण अधिकारी" होगा।

(6) कर्मचारी इस प्रयोगन के लिए किसी अन्य अधिकारी की सहायता ले सकेगा किन्तु कोई विधि व्यवसायी नियुक्त नहीं करेगा।

(7) जांच प्राधिकारी हारा गियत तारीख के, कर्मचारी सूची में विनियिष्ट समय, स्थान और तारीख के जांच प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा। जांच प्राधिकारी, कर्मचारी से वह पूछेगा कि क्या वह दोषी होने का अभिवाक करता है या कोई प्रतिवाद येता करता चाहता है और यदि वह आरोप की किसी मंद के बारे में दोषी होने का अभिवाक करता है तो जांच प्राधिकारी उस अभिवाक को अभिलिखित करेगा, अभिलेख पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर संवधित कर्मचारी के हस्ताक्षर लेगा। जांच प्राधिकारी आरोप की उग मदों की वावत, जिनके बारे में संबंधित कर्मचारी दोषी होने का अभिवाक करता है, दोषियों का निष्कर्ष अनिलिखित करेगा।

(8) यदि कर्मचारी दोषी होने का अभिवाक नहीं करता है तो जांच प्राधिकारी भासले को तीस दिन से अग्रिम की किसी पश्चात्पर्ती तारीख के लिए, यह आदेश अभिलिखित करने के पश्चात् स्थगित करेगा कि अपना प्रतिवाद तैयार करने के प्रयोजन के लिए,

(i) कर्मचारी आरोप पंद्र के साथ सूचीबद्ध वस्तावेजों का विरोधण कर सकेगा;

5

- (ii) कर्मचारी अंतिरिक्ष दस्तावेजों और ऐसे साक्षियों की जितकी वह परीक्षा करना चाहता है, सूची प्रस्तुत कर सकेगा; और
- (iii) कर्मचारी को आरोप पत्र में सूचीबद्ध साक्षियों के, यदि कोई हों, फृण्डों की प्रतियों का प्रदाय किया जा सकेगा।

टिप्पणी— खंड (ii) में निर्दिष्ट अंतिरिक्ष दस्तावेजों द्वारा साक्षियों की सुसंगतता के बारे में संवेदित कर्मचारी बताएगा तथा दस्तावेजों और याक्षी रामन किए जाएंगे यदि जांच प्राधिकारी का जांच के अधीन आरोपों के प्रति उनकी सुसंगतता के बारे में समाधान हो जाता है।

(9) जांच प्राधिकारी, अध्ययेक्षा सूचना द्वारा, ऐसे प्राधिकारी से जिसकी अभिरक्षा या कठजे में ऐसी दस्तावेजों हैं, ऐसी तारीख को जो विनिर्दिष्ट की जाए, दस्तावेजों के पेश किए जाने के लिए कहेगा।

(10) ऐसा प्राधिकारी जिसकी अभिरक्षा या कठजे में अध्ययेक्षित दस्तावेजों हैं, अध्ययेक्षा सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख, स्थान या रामय पर जांच प्राधिकारी के योग्य उन्हें पेश करने का प्रबंध करेगा।

परन्तु यदि ऐसा प्राधिकारी, जिसकी अभिरक्षा या कठजे में अध्ययेक्षित दस्तावेजों हैं, इस विशेषाधिकार का द्वारा कर कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी दस्तावेजों का पेश किया जाना लोकहित या बोर्ड के हित के विश्व द्वारा या और तदनुसार वह जांच प्राधिकारी को लिखित में सूचित करेगा।

(11) जांच के लिए नियत तारीख को, अनुकासनिक प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से ऐसा भीषणिक और दस्तावेजों साक्ष्य पेश किया जाएगा जिसके द्वारा आरोप की मद्द साक्षित की जानी है। प्रस्तुतीकरण अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से साक्षियों की परीक्षा की जाएगी और कर्मचारी द्वारा या उसकी ओर से उनकी ग्रतिपरीक्षा की जा राखेगी। प्रस्तुतीकरण अधिकारी, साक्षियों की उन विषयों में से किसी भी विषय पर पुनः परीक्षा करने का हक्कदार होगा, जिन पर उसकी प्रति परीक्षा की गई है किन्तु वह जांच प्राधिकारी की इजाजत के बिना किसी नए विषय पर पुनः परीक्षा करने का हक्कदार नहीं होगा। जांच प्राधिकारी भी साक्षियों से ऐसे प्रश्न कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

(12) अधियोक्तन के मालिकों को बंद करने के पूर्व, जांच प्राधिकारी, अपने विकेन्द्रियनुसार, ऐसा साक्ष्य जो आरोपपत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है, पेश करने के लिए प्रस्तुतीकरण अधिकारी को अनुज्ञात कर सकेगा या स्वयं नया साक्ष्य मांग सकेगा या जिसी साक्षी को पुनः नुस्खा सकेगा या उसकी पुनः परीक्षा कर सकेगा। ऐसे मामले में, कर्मचारी को, दस्तावेजों साक्ष्य का, उसके अभिलिखित किए जाने के पूर्व, निरीक्षण करने या ऐसे याक्षी की, जिसे इस प्रकार समन किया गया है, प्रतिपरीक्षा करने का अवसर दिया जाएगा।

(13) जब अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से मामला बंद कर दिया जाता है तब कर्मचारी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपना प्रतिवाद, भीषणिक या लिखित रूप में, जैसा वह चाहे कथित करे। यदि प्रतिवाद भीषणिक किया जाता है तो वह अभिलिखित किया जाएगा और कर्मचारी से अभिलेख पर हल्लाकार करने की अपेक्षा की जाएगी। दोनों ही दबालों में, प्रतिवाद के कथन की प्रति, प्रस्तुतीकरण अधिकारी को, यदि कोई हो, दी जाएगी।

(14) इसके पश्चात् कर्मचारी की ओर से साक्ष्य पेश किया जाएगा। यदि कर्मचारी अपनी ओर से अपनी रूपयोगी परीक्षा करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकेगा। तत्पश्चात् कर्मचारी द्वारा पेश किए गए साक्षियों की परीक्षा की जाएगी और उनकी प्रतिपरीक्षा, पुनः परीक्षा तथा परीक्षा, जांच प्राधिकारी द्वारा उन्हें उपबंधों के अनुसार की जा सकेगी जो अनुशासनिक प्राधिकारी के साक्षियों को लाभ होते हैं।

(15) कर्मचारी की ओर से मामले की समाप्ति के पश्चात्, जांच प्राधिकारी इस प्रयोजन के लिए कि कर्मचारी साक्ष्य में उपने विश्व श्रेष्ठ प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों के बारे में रूपांतरण देने में समर्प हो सके, साक्ष्य में कर्मचारी के विश्व श्रेष्ठ प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों के बारे में उससे सामान्यतः प्रबन्ध कर सकेगा और यदि कर्मचारी ने अपनी स्वयं की परीक्षा नहीं कराई है तो जांच प्राधिकारी ऐसा अवश्य करेगा।

(16) साक्ष्य की पूरी पूरी हो जाने के पश्चात् जांच प्राधिकारी, प्रस्तुतीकरण अधिकारी को, यदि कोई हो और, कर्मचारी को मुन सकेगा या उन्हें उपने अपने मामलों में लिखित प्रकार, यदि वह ऐसा चाहते हैं, तो दाखिल करने करने की अनुज्ञा दे राखेगा।

(17) यदि कर्मचारी इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट तारीख या उससे पूर्व उपनियम (3) में निर्दिष्ट प्रतिवाद का लिखित कथन प्रस्तुत नहीं करता है तो अथवा व्यवितरण रूप से या सहायक अधिकारी द्वारा उपस्थित नहीं होता है अथवा इन नियमों के उपचारधोर्मों के अनुपालन में अन्यथा असफल रहता है या उसका अनुपालन करने से इकार करता है तो जांच प्राधिकारी एकपक्षीय जांच कर राखेगा।

(18) किसी जांच में साक्ष्य को पूर्णतः या भागतः सुनने और अभिलिखित करने के पश्चात्, जब कभी कोई जांच प्राधिकारी, उसमें अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकता है और कोई अन्य ऐसा जांच प्राधिकारी, जिसे ऐसी अधिकारिता है और जो उसका प्रयोग करता है, उसका उत्तरवर्ती हो जाता है तो, ऐसा उत्तरवर्ती जांच प्राधिकारी अपने पूर्ववर्ती द्वारा ऐसे अभिलिखित अथवा भागतः अपने पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित और भागतः अपने द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर कार्य कर सकेगा।

परन्तु संदि उत्तरवाती जांच प्राधिकारी की यह राय है कि उस गोलियों में से किसी की जिसका साथ पहले ही अभिलिखित किया जाय चाहे है, अविरित परीक्षा करना स्थाय के द्वारा तो आवश्यक है तो वह किसी भी ऐसे साथी की, इसमें इसके पूर्व उपर्युक्त रूप में पुनः दुला सकेगा तथा उसकी परीक्षा प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा कर सकेगा।

(19) (i) जांच की समाप्ति के पश्चात, एक रिपोर्ट देयात की जाएगी जिसमें विस्तृत समिलित किया जाएगा:

(क) आरोप की गई तथा अवचार या कदमों का कथन;

(ख) आरोप की प्रत्येक गद की वापत कर्मचारी स्थ प्रतिबाद;

(ग) आरोप की प्रत्येक गद की वापत साथ का विवरण;

(घ) आरोप की गद की वापत निष्कर्ष तथा गिरफ्त के कारण;

परन्तु यदि जांच प्राधिकारी की राय में जांच की कार्यवाही से आरोप की मूल मदों से भिन्न आरोप की गोई अन्य गद सिद्ध होती है तो वह आरोप की ऐसी मद की वापत अपने गिरफ्त अधिलिखित कर सकेगा।

परन्तु यह और कि आरोप की ऐसी मदों की वापत कोई निष्कर्ष तब तक अभिलिखित नहीं किए जाएंगे जब तक कार्यवाही उन तथों को, जिन पर ऐसे आरोप की मद आधारित है, स्वीकार न कर ले अथवा जब तक उसे आरोप की चर गद के विश्वास आपना प्रतिवाद प्रस्तुत करने का पुष्टियुक्त अवसर न दे दिया जाए।

(ii) जांच प्राधिकारी, जहाँ वह स्वयं अनुशासनिक प्राधिकारी नहीं है, अनुशासनिक प्राधिकारी को जांच का अधिसेव भेजेगा जिसमें निम्नलिखित समिलित किए जाएंगे:

(क) उसके द्वारा खेड़ (1) के अधीन सेपार की गई जांच की रिपोर्ट;

(ख) उपनियम (13) में निर्दिष्ट कर्मचारी द्वारा प्रत्युत किया गया प्रतिवाद का लिखित कथन, यदि कोई हो;

(ग) जांच के दौरान पेश किये गये गोलियां और दलोंवेजी साथ।

(घ) उपनियम (16) में निर्दिष्ट लिखित प्रकार, यदि कोई हो; और

(ङ.) अनुशासनिक प्राधिकारी तथा जांच प्राधिकारी द्वारा जांच की वापत किए गए आदेश, यदि कोई हों।

27. जांच की लिपोर्ट पर कार्रवाई:—(1) अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह रवयं जांच प्राधिकारी नहीं है, ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, मामले की जांच प्राधिकारी के पास नहीं या अविरित जांच सशा स्त्रियों के लिए बेज़ सकेगा और तटुकरि जांच प्राधिकारी, नियम 26 के उपर्युक्तों के अवश्यर अविरित जांच करेगा।

(2) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी, आरोप की किसी मद पर जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों से असहमत है तो वह ऐसी असहमति के कारणों को अविलिखित करेगा और यदि अभिलिखित साथ्य इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त हो तो ऐसे आरोप के संबंध में अपने निष्कर्ष अविलिखित करेगा।

(3) आरोप की गम्भीर या किसी मदों पर अपने निष्कर्षों को ध्यात में रखते हुए, यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय है कि नियम 24 में विनिर्दिष्ट शास्त्रियों में से कोई शास्त्रि, कर्मचारी पर अधिरोपित की जाती जाहिए तो वह नियम 28 में किसी वात के होते हुए भी, ऐसी शास्त्रि अधिरोपित करते हुए अधिक करेगा।

(4) आरोप की सभी या किसी मदों गर अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की गहरी यह राय है कि कोई शास्त्रि आवश्यक नहीं है तो वह संबंधित कर्मचारी को माफ करते दाला आदेश पारित कर रक्खेगा।

28. छोटी शास्त्रियों अधिरोपित करने की प्रक्रिया:—

(1) जहाँ नियम 24 के घंड (क) से खंड (घ) में विनिर्दिष्ट कोई छोटी शास्त्रि अधिरोपित करने की प्रस्थापना है वहाँ संबंधित कर्मचारी को उसके विवर अवचार या कदमाचार के लांछनों की लिखित सूचना दी जाएगी और पश्चह दिन से अनधिक किसी विनिर्दिष्ट छवित के भीतर प्रतिवाद वा अपना लिखित कथन प्रस्तुत करने का अवश्यर दिया जाएगा। कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवाद के कथन गर, यदि कोई हो, कोई आदेश पारित करने के पूर्व अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा।

(2) कर्मचारियों के अधिलेख में निम्नलिखित रामिलित लिए जाएंगे।

(i) अवचार या कदमाचार के लांछनों वे कर्मचारी को दिए गए विवरण की प्रति;

(ii) उसके प्रतिवाद का कथन, यदि कोई हो; और

(iii) अनुशासनिक प्राधिकारी के आदेश और साथ ही उन आदेशों के कारण।

29. आदेशों की संसूचना:—

नियम 27 या नियम 28 के अधीन प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश संबंधित कर्मचारी को संसूचित किए जाएंगे। उसे जांच की रिपोर्ट नहीं यदि कोई हो, प्रति भी दी जाएगी।

30. एक साथ कार्यवाही :-

जहाँ किसी मामले का संबोध दो था अधिक कर्मचारियों से है वहाँ ऐसे सभी कर्मचारियों पर यही शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्रम अनुशासनिक कार्यवाही एक साथ कार्यवाहियों में की जाए और उसके द्वारा विनियोजित प्राधिकारी ऐसी एक साथ कार्यवाहियों के प्रयोगमें के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में भार्ये कर सकेगा।

31. छुट दियाजारों में विशेष प्रक्रिया:-

नियम 26, नियम 27 वा नियम 28 में किसी बात के होते हुए भी, अनुशासनिक प्राधिकारी नियम 24 में विनियोजित कोई शास्ति निलम्बित किसी परिस्थिति में अधिरोपित कर सकेगा।

(i) जहाँ कर्मचारी किसी आपराधिक आरोप पर वा तंत्रों के आधार पर वा अधिक विचारण में किए वह नियमों पर सिद्धेष ठहराया गया है; या

(ii) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी का, ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लेखवह किए जाएंगे, वह समाधान हो जाता है कि इन नियमों में उपर्युक्त रीति से कोई जांच करना युक्तिसूखर रूप से साध्य नहीं है, या

(iii) जहाँ बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों में उपर्युक्त रीति से कोई जांच करना बोर्ड की गुरुत्वा के हित में समीक्षीय नहीं है।

32. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपकरणों अधिकारी से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी:-

(i) जहाँ किसी ऐसे कर्मचारी के विशद्द, जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य पब्लिक-सेक्टर उपकरण या किसी स्वायत्त ग्राधिकारी से बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर है, निलम्बन आदेश किया जाता है या अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है वहाँ उसकी सेवाएं उचारदाता द्वारा देने वाले प्राधिकारी को (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उचारदाता प्राधिकारी" कहा गया है) उन परिस्थितियों की, जिनमें, उपायिति, उपायों निलम्बित करने का आदेश दिया गया है या अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ की गई है, सुरक्षा यूनिट दी जाएगी।

(2) ऐसे कर्मचारी के विशद्द की गई अनुशासनिक कार्यवाही के नियमों को ध्यान में रखते हुए:-

(क) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की यह साध्य है कि उस पर कोई छोटी शास्ति अधिरोपित की जाए तो वह उचारदाता प्राधिकारी से परामर्श करने के पश्चात् ऐसे आदेश, जो वह आवश्यक सम्बता है पारित कर सकेगा;

परन्तु अनुशासनिक प्राधिकारी और उचारदाता प्राधिकारी के बीच मतभेद होने की वजा में, कर्मचारी की सेवाएं उचारदाता प्राधिकारी के व्यवनालीन करेगा और जांच की कार्यवाहियों ऐसी जारीजारी के लिए जो वह आवश्यक समझे, उचारदाता प्राधिकारी को भेजेगा।

(घ) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की यह साध्य है कि उस पर कोई बड़ी शास्ति अधिरोपित की जाए तो वह ऐसे कर्मचारी की सेवाएं उचारदाता प्राधिकारी के व्यवनालीन करेगा और जांच की कार्यवाहियों ऐसी जारीजारी के लिए जो वह आवश्यक समझे, उचारदाता प्राधिकारी को भेजेगा।

(3) यदि कर्मचारी उपतिथम (2) के खंड (क) के अवीन बोने पर कोई छोटी शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश के विशद्द अपील प्रस्तुत करता है तो वह उचारदाता प्राधिकारी से परामर्श करने के पश्चात् नियमादी जाएगी।

परन्तु यदि अपील प्राधिकारी और उचारदाता प्राधिकारी के बीच कोई मतभेद है तो कर्मचारी की सेवाएं उचारदाता प्राधिकारी के व्यवनालीन कर दी जाएंगी और मामले की कार्यवाहियों ऐसी जारीजारी के लिए, जो वह आवश्यक समझे, उचारदाता प्राधिकारी को भेजी जाएंगी।

33. अपील:-

(1) कोई कर्मचारी नियम 24 में विनियोजित कोई शास्ति अपने पर अधिरोपित करने वाले आदेश के विशद्द वा नियम 21 में विनियोजित निलम्बन आदेश के विशद्द अपील कर सकता और ऐसी अपील जन नियमों में उचारदाता प्रस्तुतसूची-1 में विनियोजित प्राधिकारी को होगी।

(2) कोई अपील, ऐसे आदेश को, जिसके विशद्द अपील की गई है, संसूचना की तारीख से एक मास के भीतर की जाएगी। अपील, इन नियमों से उपायद्ध प्रस्तुतसूची-1 में विनियोजित अपील प्राधिकारी को सम्बोधित की जाएगी और ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी जिसके आदेश के विशद्द अपील की गई है। वह प्राधिकारी, जिसके आदेश के विशद्द अपील की गई है, अपील और साथ ही, आने दिया और भाग्य के अभिलेख अपील प्राधिकारी को प्रदर्शित किया कि क्या नियमर्थ व्यायोमित है या वह शास्ति अधिक मा अवागम्य है और अपील की तारीख से तीन मास के भीतर उपर्युक्त आदेश पारित करेगा। अपील प्राधिकारी शास्ति को पुष्ट वर्धित कर या अपालत करते हुए या ऐसे प्राधिकारी को जिसने शास्ति अधिरोपित की थी या किसी अन्य प्राधिकारी को ऐसे विशेष सहित जो वह मामले की परिस्थितियों में ढीक समझे, साम्भाला भेजते हुए आदेश पारित कर सकेगा:

परन्तु यदि ऐसी विभिन्न शास्ति, जिसे अधिरोपित करने की अपील प्राधिकारी प्रस्तावना करता है, नियम 34 के खंड (अ) खंड (ब) और खंड (स) में विनियोजित बड़ी शास्ति है और नियम 26 में उपर्युक्त जांच उस मामले

में पहले ही जहाँ की गई है तो अपील प्राधिकारी यह निवेश देगा कि ऐसी जांच नियम 26 के उपबंधों के अनुसार की जाए और उसके पश्चात् जांच के अभिलेख पर विचार करेगा और ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह उचित रामबंड़े। यदि अपील प्राधिकारी, दंड को वधित करने का विनिश्चय करता है किन्तु नियम 26 में उपवधित जांच पहले ही की जा चुकी है तो अपील प्राधिकारी, कर्मचारी को इस बारे में हेतुक दर्शित करने के लिए गृहना देगा कि उस पर वर्धित शास्ति कर्ता न अधिरोपित की जाए। पुनर्विलोकन प्राधिकारी, कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए अध्यादेश पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् अंतिम आदेश पारित करेगा।

34. पुनर्विलोकन:—

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, इन नियमों से उपाय अनुसूची । में विनिर्दिष्ट पुनर्विलोकन प्राधिकारी, अंतिम अदेश की तारीख के छह मास के भीतर शामले का अभिलेख मंगा सकेगा और मामले का पुनर्विलोकन करने के पश्चात् उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह दीक सभजे।

परन्तु यदि ऐसी वधित शास्ति, जिसे अधिरोपित करने की पुनर्विलोकन प्राधिकारी स्थापना करता है, नियम 24 के खंड (३) खंड(च) और खंड (४) में विनिर्दिष्ट बड़ी शास्ति है और नियम 26 में उपवधित जांच उस शामले में पहले ही जहाँ की गई है तो पुनर्विलोकन प्राधिकारी यह निवेश देगा कि ऐसी जांच नियम 26 के उपबंधों के अनुसार की जाए और उसके पश्चात् जांच के अभिलेख पर विचार करेगा और ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे। यदि अपील प्राधिकारी घण्टे को वधित करने का विनिश्चय लेता है किन्तु जांच नियम 26 के उपबंधों के अनुसार पहले

ही की जा चुकी है तो पुनर्विलोकन प्राधिकारी, कर्मचारी को इस बारे में हेतुक दर्शित करने के लिए गृहना देगा कि उस पर वर्धित शास्ति कर्ता न अधिरोपित की जाए। पुनर्विलोकन प्राधिकारी, कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए अध्यादेश पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् अंतिम आदेश पारित करेगा।

35. आदेशों, सूचनाओं आदि की तामील:—

इन नियमों के अधीन किए गए या जारी किए गए प्रत्येक आदेश और अन्य आदेशिका की, संबंधित कर्मचारी पर वैयक्तिक रूप से तामील की जाएगी या वह उसके वर्तमान शास्ति पते पर रजिस्ट्रीकूट डाक द्वारा उसे संसूचित शी जाएगी।

36. समय की वरिसीमा को शिखिल करने और विलम्ब को माफ करने की शक्ति:—

इन नियमों में असिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपवधित है उसके सिवाय, ऐसा प्राधिकारी, जो इन नियमों के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम हैं, पर्याप्त और अच्छे कारणों से कहीं पर्याप्त हेतुक दर्शित कर दिए जाने पर, इन नियमों के अधीन की जाते के लिए अपेक्षित किसी बात के लिए इन नियमों में विनिर्दिष्ट समय को बढ़ा सकेगा या विलम्ब को माफ कर सकेगा।

37. शंकाओं का दूर किया जाना:—

यहाँ इन नियमों में से किसी के निर्विजन के बारे में कोई शंका उत्पन्न होती है वहाँ वहाँ विषय केन्द्रीय सरकार को उसके विनियन्न के लिए मिर्देशित की जाएगी।

[फ. स. 7/5/86 वित्त-III]

एस. वालचन्द्रन, संयुक्त सचिव

अनुसूची ३

[नियम 3(ख), (छ) और (ट), नियम 25, नियम 33 और नियम 34]

कर्मचारियों का प्रथम	अनुशासनिक प्राधिकारी	अधील प्राधिकारी	पुनर्विलोकन प्राधिकारी
समूह ब	ज्येष्ठ लेखा/ग्राहासनिक अधिकारी	वित्त सलाहकार और मुख्य सचिव लेखा अधिकारी	
समूह भ	वित्त सलाहकार शीर मुख्य लेखा अधिकारी	सचिव	अध्यक्ष
समूह ख	संचिव	अध्यक्ष	बोर्ड
समूह क	अध्यक्ष	बोर्ड	केन्द्रीय सरकार

અનુષ્ઠાની- 2

[नियम 17 (4) देखिए]

प्रथम नियुक्ति पर्याय 31 दिसंबर, 19... को आस्तीनें और दायित्वों की विवरणी

- कर्मचारी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
 - धारित पद और तैनाती का स्थान
 - 1 जनवरी, 19^{..} के ठीक पूर्वावधि कलैंडर वर्ष के द्वीपान सभी हीतों से कुल वार्षिक आय
 - बोध्या

मैं घोषणा करता हूँ कि लेल उच्चोग विकास बोर्ड कर्मचारी (आचरण, अनुशासन और अधीक्षण) नियम, 1987 के नियम 17 के उपनियम (4) के उपक्रमों के अधीन मेरे हारा दी जाने वाली जागकारी की बाधत संबंध सिवरही अवधि प्रस्तु 5....., को मेरी सर्वोत्तम जागकारी और विकास के अनुसार पूर्ण सही और ठीक है।

સારીખ

३४७

टिप्पणी :—। इस विवरणी में कर्मचारी को, अपने नाम से या अन्य व्यक्ति के नाम से, सभी आस्तियाँ और दाधित्वों को विलिङ्गियाँ होंगी।

2. यदि कोई कर्मचारी ऐसे हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का सदस्य है, जिसमें उसका "कर्ता" या सदस्य के रूप में कुटुम्ब की सम्पत्ति में सहायिकी अधिकार है तो वह प्रलृप 1 में की विवरणी में ऐसी सम्पत्ति में अपने अंश का मूल्य को उपराखित करे और जहाँ ऐसे अंश का सही मूल्य उपराखित करना संधिक पर्ही है वहाँ उसका अनुमानित मूल्य उपराखित करे। जहाँ आवश्यक हो, उपराखित स्पष्टीकारक टिप्पण जोड़े जा सकें।

प्रह्लैंड सं० ४

प्रथम नियुक्ति पर /31 दिसंबर, 19..... को स्थावर संपत्ति का विवरण

(चंदाहरणीर्थ, भूमि, गृह दुकान, अन्य भवन आदि)

क संपत्ति का वर्णन
सं० ठीक-ठीक अव-
स्थान (जिले,
मंडल, तालुक
और ग्राम का
नाम जिसमें
संपत्ति स्थित है
और जाथ ही
उसका सुभिन्न
संव्याकों आदि)

भूमि का क्षेत्र-
फल (भूमि और
भू-संपत्ति की
भवग की दशा में)
(दशा में)

भूमि का प्रकार
विस्तार

यदि अपने नाम अर्जन की तारीख
से नहीं है तो
उल्लिखित करें कि
किसके नाम से
धारित है और
कर्मचारी से उसकी
नातेबारी यदि
कोई हो

1 2 3 4 5 6 7 8

कसे अंजित की गई ? (क्या क्या, वंधक, पट्टे, विरासत, दान द्वारा
या ब्रह्मित्रा) तथा उस व्यक्ति/उन
व्यक्तियों के नाम और व्यक्ति/
जिनसे अंजित की गई (संविधित
व्यक्ति/व्यक्तियों के पते और
कर्मचारी से संबंध, यदि, कोई
हो) (कृपया नीचे टिप्पणी दें)

संपत्ति का गूह्य
(नीचे टिप्पणी 2
दें)

विहित ग्राहिकारी की
मंजूरी की विधि-
प्रियों, यदि कोई
हों।

संपत्ति से कुल वार्षिक इष्पणियाँ
आय

9 10 11 13 13

टिप्पणी : (1) स्तम्भ 9 के प्रयोजन के लिए, "पट्टा" शब्द से वर्णनियर्थी या एक वर्ड से अधिक की किसी अवधि के लिए या नायिक घाटक को आरक्षित रखने वाले स्थावर संपत्ति का पट्टा अभिप्रेत है। किन्तु, जहाँ स्थावर संपत्ति का पट्टा किसी ऐसे व्यक्ति से अभिप्राप्त किया जाता है जिसका कर्मचारी के साथ लासकीय व्यवहार होता है वहाँ इस स्तम्भ
में ऐसा पट्टा दर्शित किया जाए जाहे ऐसे पट्टे की अवधि अत्यधिकालिक है या दीर्घकालिक और साथ ही भाटक के संदर्भ
की कालिकता दर्शित की जाए।

टिप्पणी : (2) स्तम्भ 10 में विस्तरित दर्शित किया जाए :—

(क) जहाँ संपत्ति क्या, वंधक या पट्टे द्वारा अंजित की गई है, वहाँ ऐसे अर्जन के लिए संदर्भ कीमत या प्रीमियम ;

(ब) जहाँ वह पट्टे द्वारा अंजित की गई है वहाँ उसका कुल वार्षिक आठक भी; और

(ग) जहाँ अर्जन सिरासत, भान या विनियम द्वारा किया जाता है वहाँ इस प्रकार अंजित संपत्ति का अनुमानित मूल्य ।

प्रलेख सं० २

प्रथम नियुक्ति पर/31 दिसम्बर, 19..... को तरत वासितों का विवरण

- (1) लीन भास की उपलब्धियों से अधिक वक्तव्य और वैक अतिशय।
- (2) निषेप, दिए गए उद्धर और विनियान (जैसे, शेवर, प्रतिशूलियों, फिरेंचर, आदि।)

(8)

क्रम सं०	वर्णन	कांपनी, वैक आदि का नाम और पतो	रकम	यदि अपने नाम से नहीं है तो उस व्यक्ति का नाम और पता जिसके नाम से व्याख्या है तथा कम्पनी से उसकी नामदारी	व्यूपन वार्षिक आय	टिप्पणियां
1			3	4	5	6
						7

तारीख—

हस्ताक्षर—

टिप्पण : 1. स्तम्भ 7 में, विभिन्न संव्यवहारों की वाक्त अधिग्राहक मंजूरी या दी गई रिपोर्ट के संबंध में विशिष्टियों दी जाए।

टिप्पण : 2. "उपलब्धियों" भाव से कम्पनी द्वारा प्राप्त वेतन शाँर भर्ते अधिग्रेत हैं।

प्रलेख सं० ३

प्रथम नियुक्ति पर/31 दिसम्बर, 19..... को जंगम संपत्ति का विवरण

क्रम सं०	मदों का वर्णन	अवक्रय या किसी भी के विवरण यदि अपने नाम से नहीं है कैसे अजित की नई और टिप्पणियां
1	2	3
		4
		5
		6

तारीख—

हस्ताक्षर—

टिप्पण : 1. इस प्रलेख में निम्नलिखित मदों के संबंध में जानकारी दी जाए। (क) उसके स्वामित्वाधीन आधूपण (कुल मूल्य)

(ख) उसके स्वामित्वाधीन चांदी और अन्य बहुमूल्य धातु और रत्न (कुल मूल्य) जो आधूपण के धारा नहीं हैं;

(ग) (i) मोटर कार, (ii) स्कूटर/मोटर साइकिल, (iii) ऐफीजरेटर/एयर कंडीशनर, (iv) रेडियो/रेडियोशाम कैंस्लीविजन सेट; (घ) कपड़े, वर्तन, गुल्में, काकड़ी आदि जैसे दैनिक उपयोग की उस्तुओं से भिन्न जंगम संपत्ति की ऐसी मदों का मूल्य जिनकी अलग कीमत कुल मिलाकर १० रु० से कम है।

टिप्पण : 2. स्तम्भ 5 में, यह उपदर्शित किया पाए कि क्या संपत्ति ऋण, विरापत, दाव द्वारा या वन्यया अजित की नई थी।

टिप्पण : 3. स्तम्भ 6 में, विभिन्न संव्यवहारों की वाक्त अधिग्राहक मंजूरी या दी गई रिपोर्ट के संबंध में विशिष्टियों दी जाए।

प्रलेप सं 4

प्रथम नियुक्ति पर/31 दिसम्बर, 19... को भविष्य निधि और जीवन दीभा पालिसी का विवरण

दीमा पालिसी

भविष्य निधि

क्रम सं.	दीमा कंपनी जौर पालिसी की तारीख	दीमा क्रूत का नाम	वार्षिक राशि/परि- यावती की तारीख	वार्षिक प्रीमियम	भविष्य निधि का प्रकार सांख्यनि०/	संपरीक्षा/ लेखा अधि- कारी द्वारा कारी द्वारा किया गया	तत्पश्चात् अधिकारी अभिवाद किया गया	योग अंत अतिशेष और राशि ही ऐरे अतिशेष की तारीख	टिप्पणियाँ (यदि अति- शेष के संबंध में कोई विवाद है तो कर्म- नारियों के अनुसार अंकों को भी इस स्तर में उल्लि- चित किया जाए)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

तारीख

हस्ताक्षर

प्रलेप सं 5

प्रथम नियुक्ति पर/31 दिसम्बर, 19... को छहों और अन्य दावितों का विवरण

क्रम सं.	रकम	लेनदार का नाम और पता	दायित्व उपगत होने की तारीख।	संबंधित के द्वारा दायित्व	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6

तारीख

हस्ताक्षर

टिप्पणः—1. तीन भारत की उपचालियों से अनधिक उद्धारों की एकत्र भवतों को सम्मिलित न किया जाए।

टिप्पणः—2. स्तरम् 6 में, सक्षम प्राधिकारी से अधिग्राप्त अनुज्ञा, यदि कोई हो, या दी गई रिपोर्ट के संबंध में जांतकारी भी दी जाए।

टिप्पणः—3. "उदलभिद्या" शब्द से कर्मचारी द्वारा प्राप्त वेतन और भवतों अभिप्रेत हैं।

टिप्पणः—4. विवरण में, बहुत क्षय करने के लिए अग्रिम, गुह, किसी भी विवरण भविष्य निधि से अप्रियों तथा जीवन दीमा पालिसीयों और सावधि निष्कर्षों पर उधारों को भी सम्मिलित किया जाए।

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 11th January, 1988

NOTIFICATION

GSR 20(E).—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

PART I—PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Oil Industry Development Board Employees' (Conduct, Discipline and Appeal) Rules, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to all employees of the Board, other than ;

(i) those in casual employment or paid from contingencies;

(ii) Government servants and the employees of the public sector undertakings working in the Board on deputation basis except to the extent provided for in rule 32.

3. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974);

(b) "appellate authority" means the authority specified as such in the Schedule—I annexed to these rules;

(c) "appointing authority" means the Board and includes any authority specified as such in the Oil Industry Development Board Employees' (General Conditions of Service) Rules, 1984, as amended from time to time;

(d) "Board" means the Oil Industry Development Board, established under section 3 of the Act;

(e) "Chairman" means the Chairman of the Board;

(f) "competent authority" means any authority empowered by the Board by any general or special order to discharge the function or exercise the powers specified in such order;

(g) "disciplinary authority" means the authority specified as such in the Schedule—I annexed to these rules, competent to impose any of the penalties specified in rule 24;

(h) "employee" means a person in the employment of the Board other than casual, work-charged or contingent staff, and includes an officer of the Board;

(i) "family", in relation to an employee, includes ;

(i) the wife or husband, as the case may be, of the employee, whether residing with him or not but does not include a wife or husband, as the case may be, separated from the employee by a decree or order of a competent court;

(ii) sons or daughters or step sons or step-daughters of the employee and wholly dependent on him, but does not include a child or a step child who is no longer in any way, dependent on the employee or of whose custody the employee has been deprived of by or under any law;

(iii) any other person related, whether by blood or marriage, to the employee or to such employee's wife or husband, as the case may be, and wholly dependent on such employee;

(j) "public servant" includes a person as mentioned in section 21 of Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860);

(k) "reviewing authority" means the authority specified as such in the Schedule I annexed to these rules.

PART II—CONDUCT

4. General.—(1) Every employee shall at all times—

(i) maintain absolute integrity;

(ii) maintain devotion to duty; and

(iii) do nothing which is unbecoming of an employee.

(2) Every employee shall take all possible steps to ensure the integrity and devotion to duty of all employees for the time being under his control and authority.

5. Misconduct.—Without prejudice to the generality of the term "misconduct", the following acts of omission and commission shall be treated as misconduct :—

(1) Theft, fraud or dishonesty in connection with the business or property of the Board or of property of another person within the premises of the Board.

(2) Taking or giving bribes or any illegal gratification.

(3) Possession of pecuniary resources or property disproportionate to the known source of income by the employee or on his behalf by another person, which the employee cannot satisfactorily account for.

(4) Furnishing false information regarding name, age, father's name, qualification, ability or previous service or any other matter germane to the employment at the time of employment or during the course of employment.

- (5) Acting in a manner prejudicial to the interests of the Board.
- (6) Wilful insubordination or disobedience, whether or not in combination with others, of any lawful and reasonable order of his superior.
- (7) Absence without leave or over-staying the sanctioned leave for more than four consecutive days without sufficient grounds or proper or satisfactory explanation.
- (8) Habitual late or irregular attendance.
- (9) Neglect of work or negligence in the performance of duty including malingering or slowing down of work.
- (10) Damage to any property of the Board.
- (11) Interference or tampering with any safety devices installed in or about the premises of the Board.
- (12) Drunkenness or riotous or disorderly or indecent behaviour in the premises of the Board or outside such premises where such behaviour is related to or connected with the employment.
- (13) Gambling within the premises of the establishment.
- (14) Smoking within the premises of the establishment where it is prohibited.
- (15) Collection without the permission of the competent authority of any money within the premises of the Board except as sanctioned by any law of the land for the time being in force or rules of the Board.
- (16) Sleeping while on duty.
- (17) Commission of any act which amounts to a criminal offence involving moral turpitude.
- (18) Absence from the employee's appointed place of work without permission or sufficient cause.
- (19) Purchasing properties, machinery, stores, etc., from or selling properties, machinery, stores, etc., to the Board without express permission in writing from the competent authority.
- (20) Commission of any act subversive of discipline or of good behaviour.
- (21) Abetment of or attempt at abetment of any act which amounts to misconduct.
- 6. Employment of near relatives of the employees in any company or firm enjoying patronage of the Board.
 - (1) No employee shall use his position or influence directly or indirectly to secure employment for any member of his family in any company or firm enjoying the patronage of the Board.

(2) No employee of the Board shall, except with the previous sanction of the competent authority, permit any member of his family to accept employment with any company or firm with which he has official dealings, or with any company or firm, having official dealings with the Board :

Provided that where the acceptance of the employment cannot await sanction of the competent authority, the employment may be accepted provisionally subject to the sanction of the competent authority, to whom the matter shall be reported forthwith.

(3) No employee shall in the discharge of his official duties deal with any matter or give or sanction any contract to any company or firm or any other person if any member of his family is employed in that company or firm or under that person or if he or any member of his family is interested in such matter or contract in any other manner and the employee shall refer every such matter or contract to his official superior and the matter or the contract shall thereafter be disposed of according to the instructions of the authority to whom the reference is made.

7. Taking part in demonstration and strike :

No employee shall—

- (i) engage himself or participate in any demonstration which is prejudicial to the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality or which involves contempt of court, defamation or incitement to an offence;
- (ii) resort to or in any way abet, any form of strike or coercion or physical duress in connection with any matter pertaining to his service or any other employee.

8. Connection with press, radio or television.

(1) No employee shall, except with the previous sanction of the competent authority, own wholly or in part, or conduct or participate in the editing or management of, any newspaper or other periodical publication.

(2) No employee shall, except with the previous sanction of the competent authority or in the bona-fide discharge of his duties, participate in a broadcast or telecast or contribute any article or write any letter either in his own name or anonymously, pseudonymously, or in the name of any other person to any newspaper or periodical :

Provided that no such sanction shall be required if such broadcast, telecast or contribution is of a purely literary, artistic or scientific character.

9. Criticism of Government and the Board.

No employee shall, in any broadcast, telecast or in any document published under his own name or anonymously, pseudonymously or in the name of any

other person or in any communication to the press, or in any public utterance, make any statement.—

(a) which has the effect of adverse criticism of any policy or action of the Central Government or a State Government, or of the Board; or

(b) which is capable of embarrassing the relations between the Board and the public :

Provided that nothing in this rule shall apply to any statement made or views expressed by an employee, of a purely factual nature in his official capacity or in due performance of the duties assigned to him :

Provided further that nothing contained in this clause shall apply to bona fide expression of views by him as an office-bearer of a recognised association for the purpose of safeguarding the conditions of service of such employees or for securing an improvement thereof.

10. Evidence before committee or any other authority.—

(1) Save as provided in sub-rule (2), no employee shall, except with the previous sanction of the competent authority, give evidence in connection with any enquiry conducted by any person, committee or authority.

(2) Where any sanction has been accorded under sub-rule (1), no employee giving such evidence shall criticise the policy or any action of the Central Government or of a State Government, or of the Board.

(3) Nothing in this rule shall apply to—

(a) evidence given at any enquiry before an authority appointed by the Central Government, Parliament or a State Legislature or the Board;

(b) evidence given in any judicial enquiry; or

(c) evidence given at any departmental enquiry ordered by the Board.

11. Unauthorised communication of information.

No employee shall, except in accordance with any general or special order of the Board or in the performance in good faith of the duties assigned to him, communicate, directly or indirectly any official document or any part thereof or information to any employee, or any other person to whom he is not authorised to communicate such document or information.

12. Gifts.—

(1) Save as otherwise provided in these rules, no employee shall accept or permit any member of his family or any other person acting on his behalf, to accept any gift.

Explanation :—The expression "gift" includes free transport board, lodging or other service or any other pecuniary advantage when provided by any person other than a near relative or a personal friend having no official dealings with the employee.

(2) On occasions such as weddings, anniversaries, funerals or religious functions, when the making of gifts is in conformity with the prevailing religious or social practices, an employee may accept gifts from his near relatives but he shall make a report to the competent authority if the value of the such gift exceeds Rs. 500/-.

(3) On occasions such as are specified in sub-rule (2), an employee may accept gifts from his personal friends having no official dealings with him, but he shall make a report to the competent authority if the value of any such gift exceeds Rs. 250/-.

(4) In any other case, an employee shall not accept, or permit any other member of his family or any other person acting on his behalf, to accept any gift without the sanction of the competent authority if the value thereof exceeds Rs. 250/-.

Provided that when more than one gift has been received from the same person within a period of 12 months, the matter shall be reported to the competent authority if the aggregate value of the gifts exceeds Rs. 250/-.

13. Dowry.—

No employee shall—

(i) give or take or abet the giving or taking of dowry; or

(ii) demand, directly or indirectly, from the parents or guardian of a bride or bridegroom, as the case may be, any dowry.

Explanation : For the purposes of this rule "dowry" has the meaning as in Dowry Prohibition Act, 1961 (23 of 1961).

14. Private trade or employment.—

(1) No employee shall, except with the previous sanction of the competent authority, engage directly or indirectly in any trade or business, negotiate or undertake any other employment.

Provided that an employee may, without such sanction, undertake honorary work of a social or charitable nature or occasional work of literary, artistic or scientific character, or participate in sports activities as amateur, subject to the condition that his official duties do not thereby suffer.

(2) Every employee shall report to the competent authority if any member of his family is engaged in a trade or business or owns or manages an insurance agency or commission agency.

(3) No employee shall, without the previous sanction of the competent authority, except in the discharge of his official duties, take part in the registration, promotion or management of any bank or other company which is required to be registered under the

Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any other law for the time being in force, or any cooperative society for commercial purposes :

Provided that an employee may take part in the registration, promotion or management of a Consumer Cooperative Society or House Building Cooperative Society substantially for the benefit of employees of the Board registered under the Cooperative Societies Act, 1912 (2 of 1912) or any other law for the time being in force, or of a literary, scientific or charitable society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), or any corresponding law in force.

(1) No employee shall accept any fee or any pecuniary advantage for any work done by him for any public body or any private person without the sanction of the competent authority.

15. Investment, lending and borrowing.—

No employee shall, save in the ordinary course of business with a bank, the Life Insurance Corporation of India or a firm of standing, borrow money from or lend money to or otherwise place himself under pecuniary obligation to any person with whom he has or is likely to have official dealings or permit any such borrowing, lending or pecuniary obligation in his name or for his benefit or for the benefit of any member of his family.

16. Insolvency and habitual indebtedness.—

(1) An employee shall avoid habitual indebtedness unless he proves that such indebtedness is the result of circumstances beyond his control and does not proceed from extravagance or dissipation.

(2) An employee who applies to be, or is adjudged or declared insolvent, shall forthwith report the fact to the competent authority.

17. Movable, immovable and valuable property.—

(1) No employee shall, except with the previous sanction of the competent authority, acquire or dispose of any immovable property by lease, mortgage, purchase, sale, gift or otherwise, either in his own name or in the name of any member of his family.

(2) No employee shall, except with the previous sanction of the competent authority, enter into any transaction concerning any immovable or movable property with a person or a firm having official dealings with the employee or his subordinate.

(3) Every employee shall report to the competent authority every transaction concerning movable property owned or held by him in his own name or in the name of a member of his family, if the value of such property exceeds Rs. 2,500/-.

(4) (i) Every employee shall on his first appointment submit a return of assets and liabilities in the forms specified in Schedule II annexed to these rules giving the particulars regarding :—

(a) the immovable property inherited by him, or owned or acquired by him, or held by him on lease or mortgage, either in his own name or in the name of any member of his family or in the name of any other person;

(b) shares, debentures, and cash including bank deposits inherited by him or similarly owned, acquired, or held by him;

(c) other movable property inherited by him or similarly owned, acquired or held by him if the value of such property exceeds Rs. 2,500/-;

(d) debts and other liabilities incurred by him directly or indirectly;

(ii) Every officer of the Board shall submit a return of immovable property inherited/owned or acquired by him once in every two years in form I specified in Schedule II.

(b) The competent authority may, at any time, by general or special order, require an employee to submit, within a period specified in the order, a full and complete statement of movable or immovable property held or acquired by him or on his behalf by any member or his family as may be specified in the order. Such statement shall, if so required by the competent authority, include details of the means by which, or the source from which such property was acquired.

18. Canvassing of non-official or other influence.

No employee shall bring or attempt to bring any outside influence to bear upon any superior authority to further his interests in respect of matters pertaining to his service in the Board.

19. Bigamous marriages.

(1) No employee shall enter into, or contract a marriage with a person having a spouse living; and

(2) no employee, having a spouse living, shall enter into, or contract a marriage with any person :

Provided that the Board may permit an employee to enter into, or contract, any such marriage if it is satisfied that—

(a) such marriage is permissible under the personal law applicable to such employee and the other party to the marriage; and

(b) there are other grounds for so doing.

(3) An employee who has married or marries a person other than that of Indian nationality, shall forthwith intimate the fact to the Board.

20. Consumption of intoxicating drinks and drugs.—

An employee shall take due care that the performance of his duties is not affected in any way by the influence of any intoxicating drink or drug.

PART III—SUSPENSION**Suspension.—**

(1) The appointing authority, or any authority which it is subordinate, or the disciplinary authority or any authority empowered in that behalf by the Board by general or special order, may place an employee under suspension—

- (a) where disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending; or
- (b) where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial.

(2) An employee who is detained in police custody, whether on a criminal charge or otherwise, for a period exceeding forty-eight hours, shall be deemed to have been suspended with effect from the date of his detention.

(3) Where a penalty of dismissal or removal from service imposed upon an employee under suspension is set aside on appeal or on review under these rules and the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions, the order of his suspension shall be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal or removal and shall remain in force until further orders.

(4) Where a penalty of dismissal or removal from service imposed upon an employee is set aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision of a court of law and the disciplinary authority on consideration of the circumstances of the case, decides to hold a further inquiry against him on the allegations on which the penalty of dismissal or removal was originally imposed, the employee shall be deemed to have been placed under suspension by the appointing authority from the date of the original order of dismissal or removal and shall continue to remain under suspension until further orders :

Provided that no such further inquiry shall be ordered unless it is intended to meet a situation where the court has passed an order purely on technical grounds without going into the merits of the case.

(5) An order of suspension made or deemed to have been made under this rule may at any time be revoked by the authority which made or is deemed to have made the order or by any authority to which that authority is subordinate.

22. Subsistence allowance.—

(1) An employee under suspension shall be entitled to draw subsistence allowance equal to 50 per cent of his basic pay if the authority empowered to suspend him under sub-rule (1) of rule 21 is satisfied that the employee is not engaged in any other employment or business or profession or vocation. In addition, he shall be entitled to dearness allowance admissible on such subsistence allowance and any other compensatory allowance of which he was in receipt on the date of suspension if the said authority

is satisfied that the employee continues to meet the expenditure for which the allowance was granted:

(2) Where the period of suspension exceeds six months, the authority which made or is deemed to have made the order of suspension shall be competent to vary the amount of subsistence allowance for any period subsequent to the period of the first six months as follows :—

- (i) the amount of subsistence allowance may be increased to 75 per cent of basic pay and allowances thereon if, in the opinion of the said authority, the period of suspension has been prolonged for reasons, to be recorded in writing, not directly attributable to the employee under suspension; or
- (ii) the amount of subsistence allowance may be reduced to 25 per cent of basic pay and allowances thereon if, in the opinion of the said authority, the period of suspension has been prolonged due to the reasons, to be recorded in writing, directly attributable to the employee under suspension.

(3) If an employee is arrested by the police on a criminal charge and bail is not granted, no subsistence shall be payable. On grant of bail, if the competent authority decides to continue the suspension, the employee shall be entitled to subsistence allowance from the date he is granted bail.

23. Treatment of the period of suspension.—

(1) When an employee under suspension is reinstated, the competent authority may grant to him the following pay and allowances for the period of suspension :

- (a) if the employee is exonerated and not awarded any of the penalties specified in rule 24, the full pay and allowances which he would have been entitled to if he had not been suspended, less the pay and allowances already paid to him; and
- (b) if otherwise, such proportion of pay and allowances as the competent authority may specify.

(2) In a case falling under clause (a), the period of absence from duty shall be treated as a period spent on duty. In a case falling under clause (b), it shall not be treated as a period spent on duty unless the competent authority so directs.

24. Penalties.—

The following penalties may be imposed on an employee for misconduct committed by him or for any other good and sufficient reasons :—

Minor penalties :—

- (a) Censure,
- (b) withholding of increments of pay with or without cumulative effect;

- (c) withholding of promotion;
- (d) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Board, by negligence or breach of orders.

Major penalties :

- (e) reduction to a lower grade or post, or to a lower stage in a time scale;
- (f) removal from service which shall not be a disqualification for future employment;
- (g) dismissal;

Explanation :—The following shall not amount to a penalty within the meaning of this rule :—

- (i) withholding of increment of an employee on account of his work being found unsatisfactory or not being of the required standard, or for failure to pass a prescribed test or examination;
- (ii) stoppage of an employee at the efficiency bar in a time scale on the ground of his unfitness to cross such bar;
- (iii) non-promotion, whether in an officiating capacity or otherwise, of an employee, to a higher post for which he may be eligible for consideration but for which he is found unsuitable after consideration of his case;
- (iv) reversion to a lower grade or post, of an employee officiating in a higher grade or post, on the ground that he is considered, after trial, to be unsuitable for such higher grade or post, or on administrative grounds unconnected with his conduct;
- (v) reversion to his previous grade or post, of an employee appointed on probation to another grade or post, during or at the end of the period of probation, in accordance with the terms of his appointment;
- (vi) termination of service;

- (a) of an employee appointed on probation, during or at the end of the period of probation, in accordance with the terms of his appointment;
- (b) of an employee appointed in a temporary capacity otherwise than under a contract or agreement, on the expiration of the period for which he was appointed, or earlier in accordance with the terms of his appointment;
- (c) of an employee appointed under a contract or agreement, in accordance with the terms of such contract or agreement; and
- (d) of any employee on reduction of establishment.

25. Disciplinary authority

The disciplinary authority, specified in the Schedule I annexed to these rules, or any higher authority may impose any of the penalties specified in rule 24 on any employee.

26. Procedure for imposing major penalties.—

(1) No order imposing any of the major penalties specified in clauses (e), (f) and (g) of rule 24 shall be issued except after an inquiry is held in accordance with this rule.

(2) Whenever the disciplinary authority is of the opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against an employee, it may itself enquire into, or appoint any officer under this rule (hereinafter called the inquiring authority) to inquire into the truth thereof.

(3) Where it is proposed to hold an inquiry, the disciplinary authority shall frame definite charges on the basis of the allegations against the employee. The charges, together with a statement of the allegations, on which they are based, a list of documents by which and a list of witnesses by whom, the articles of charge are proposed to be sustained, shall be communicated in writing to the employee, who shall be required to submit within such time as may be specified by the disciplinary authority (not exceeding 15 days), a written statement whether he admits or denies any of or all the articles of charge.

Explanation :—It shall not be necessary to show any documents listed with the articles of charge or any other documents to the employee at this stage.

(4) On receipt of the written statement of the employee, or if no such statement is received within the time specified, an inquiry may be held by the disciplinary authority itself, or by any other officer appointed as an inquiring authority under sub-rule (2).

Provided that it may not be necessary to hold an inquiry in respect of the charges admitted by the employee in his written statement. The disciplinary authority shall, however, record its findings on each such charge.

(5) Where the disciplinary authority itself inquires or appoints an inquiring authority for holding an inquiry, it may, by an order appoint an officer to be known as the "Presenting Officer" to present on its behalf the case in support of the articles of charge.

(6) The employee may take the assistance of any other officer but may not engage a legal practitioner for the purpose.

(7) On the date fixed by the inquiring authority, the employee shall appear before the inquiring authority at the time, place and date specified in the notice. The inquiring authority shall ask the employee whether he pleads guilty or has any defence to make and if he pleads guilty to any of the

(12)

articles of charge, the Inquiring authority shall record the plea, sign the record and obtain the signature of the employee concerned thereon. The inquiring authority shall return a finding of guilt in respect of those articles of charge to which the employee concerned pleads guilty.

(8) If the employee does not plead guilty, the inquiring authority shall adjourn the case to a later date not exceeding thirty days, after recording an order that the employee may, for the purpose of preparing his defence :

- (i) inspect the documents listed with the chargesheet;
- (ii) submit a list of additional documents and witnesses that he wants to examine; and
- (iii) be supplied with the copies of the statements of witnesses, if any, listed in the chargesheet.

Note : Relevancy of the additional documents and the witnesses referred to in clause (ii) will have to be given by the employee concerned and the documents and the witnesses shall be summoned if the inquiring authority is satisfied about their relevance to the charges under inquiry.

(9) The inquiring authority shall ask the authority in whose custody or possession the documents are kept by a requisition notice, for the production of the documents on such date as may be specified.

(10) The authority in whose custody or possession the requisitioned documents are, shall arrange to produce the same before the inquiring authority on the date, place and time specified in the requisition notice :

Provided that the authority having the custody or possession of the requisitioned documents may claim privilege if he is satisfied that the production of such documents will be against the public interest or the interest of the Board and inform in writing the inquiring authority accordingly.

(11) On the date fixed for the inquiry, the oral and documentary evidence by which the articles of charge are proposed to be proved shall be produced by or on behalf of the disciplinary authority. The witnesses shall be examined by or on behalf of the presenting officer and may be cross-examined by or on behalf of the employee. The presenting officer shall be entitled to re-examine the witnesses on any points on which they have been cross-examined, but not on a new matter, without the leave of the inquiring authority. The inquiring authority may also put such questions to the witnesses as it thinks fit.

(12) Before the close of the prosecution case, the inquiring authority may, in its discretion, allow the presenting officer to produce evidence not included in the charge-sheet or may itself call for new evidence or recall or re-examine any witness. In such case the employee shall be given opportunity to inspect the documentary evidence before it is taken on record; or to cross-examine a witness, who has been so summoned..

(13) When the case for the disciplinary authority is closed, the employee shall be required to state his defence, orally or in writing, as he may prefer. If the defence is made orally, it shall be recorded and the employee shall be required to sign the record. In either case a copy of the statement of defence shall be given to the Presenting Officer, if any.

(14) The evidence on behalf of the employee shall then be produced. The employee may examine himself in his own behalf if he so prefers. The witnesses produced by the employee shall then be examined and shall be liable to cross-examination, re-examination and examination by the inquiring authority according to the provision applicable to the witnesses for the disciplinary authority.

(15) The inquiring authority may, after the employee closes his case, and shall, if the employee has not examined himself, generally question him on the circumstances appearing against him in the evidence for the purpose of enabling the employee to explain any circumstances appearing in the evidence against him.

(16) The inquiring authority may, after completion of the production of evidence, hear the presenting officer, if any, and the employee, or permit them to file written briefs of their respective cases, if they so desire.

(17) If the employee does not submit the written statement of defence referred to in sub-rule (3) on or before the date specified for the purpose or does not appear in person, or through the assisting officer or otherwise fails or refuses to comply with any of the provisions of these rules, the inquiring authority may hold the inquiry ex parte.

(18) Whenever any inquiring authority, after having heard and recorded the whole or any part of the evidence in an inquiry ceases to exercise jurisdiction therein, and is succeeded by another inquiring authority which has, and which exercises, such jurisdiction, the inquiry authority so succeeding may act on the evidence so recorded by its predecessor, or partly recorded by its predecessor and partly recorded by itself :

Provided that if the succeeding inquiring authority is of the opinion that further examination of any of the witnesses whose evidence has already been recorded is necessary in the interest of justice, it may recall, examine, cross-examine and re-examine any such witness as herein before provided.

(19) (i) After the conclusion of the inquiry, a report shall be prepared and it shall contain—

- (a) the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour;
- (b) the defence of the employee in respect of each article of charge;
- (c) an assessment of the evidence in respect of each article of charge;
- (d) the findings on each article of charge and the reasons therefor.

Provided that if in the opinion of the inquiring authority the proceedings of the inquiry establish any article of charge different from the original articles of the charge, it may record its findings on such article of charge :

Provided further that the findings on such article of charge shall not be recorded unless the employee has either admitted the facts on which such article of charge is based or has had a reasonable opportunity of defending himself against such article of charge.

(ii) The inquiring authority where it is not itself the disciplinary authority, shall forward to the disciplinary authority the records of inquiry which shall include—

- the report of the inquiry prepared by it under clause (i);
- the written statement of defence, if any submitted by the employee referred in sub-rule (18);
- the oral and documentary evidence produced in the course of the inquiry;
- written briefs referred to in sub-rule (16), if any; and
- the orders, if any, made by the disciplinary authority and the inquiring authority in regard to the inquiry.

27. Action on the inquiry report :

(1) The disciplinary authority, if it is not itself the inquiring authority may, for reasons to be recorded by it in writing, remit the case to the inquiring authority for fresh or further inquiry and report, and the inquiring authority shall thereupon proceed to hold the further inquiry according to the provisions of rule 26.

(2) The disciplinary authority shall, if it disagrees with the findings of the inquiring authority on any article of charge, record its reasons for such disagreement and record its own findings on such charge, if the evidence on record is sufficient for the purpose.

(3) If the disciplinary authority, having regard to its findings on all or any of the articles of charge, is of the opinion that any of the penalties specified in rule 24 should be imposed on the employee, it shall, notwithstanding anything contained in rule 28, make an order imposing such penalty.

(4) If the disciplinary authority, having regard to its findings on all or any of the articles of charge, is of the opinion that no penalty is called for, it may pass an order exonerating the employee concerned.

28. Procedure for imposing minor penalties

(1) Where it is proposed to impose any of the minor penalties specified in clause (a) to (d) of rule 24, the employee concerned shall be informed in writing of the imputations of misconduct or misbehaviour against him and given an opportunity to submit his written statement of defence within a specified

period not exceeding 15 days, the defence statement, if any, submitted by the employee shall be taken into consideration by the disciplinary authority before passing an order.

(2) The record of the proceedings shall include—

- a copy of the statement of imputations of misconduct or misbehaviour delivered to the employee;
- his defence statement, if any; and
- the orders of the disciplinary authority together with the reason therefor.

29. Communication of orders.—

Orders made by the disciplinary authority under rule 27 or rule 28 shall be communicated to the employee concerned, who shall also be supplied with a copy of the report of inquiry, if any.

30. Common proceedings.—

Where two or more employees are concerned in a case, the authority competent to impose a major penalty on all such employees make an order directing that disciplinary proceedings against all of them may be taken in a common proceedings and an authority specified by him may function as the disciplinary authority for the purpose of such common proceedings.

31. Special procedure in certain cases

Notwithstanding anything contained in rule 26, 27 or 28, the disciplinary authority may impose any of the penalties specified in rule 24 in any of the following circumstances :—

- where the employee has been convicted on a criminal charge, or on the strength of facts or conclusions arrived at by a judicial trial;
- where the disciplinary authority is satisfied, for reasons to be recorded by it in writing, that it is not reasonably practicable to hold an inquiry in the manner provided in these rules; or
- where the Board is satisfied that in the interest of the security of the Board, it is not expedient to hold any inquiry in the manner provided in these rules.

32. Employees on deputation from the Central Government, the State Government or public sector undertakings etc.

(1) Where an order of suspension is made or disciplinary proceeding is taken against an employee, who is on deputation to the Board from the Central Government or a State Government, or another public-sector undertaking, or a local authority, the authority lending his services (hereinafter referred to as the lending authority) shall forthwith be informed of the circumstances leading to the order of his suspension, or the commencement of the disciplinary proceeding, as the case may be.

(2) In the light of the findings in the disciplinary proceeding taken against such employee—

- (a) if the disciplinary authority is of the opinion that any of the minor penalties should be imposed on him, it may pass such orders as it deems necessary after consultation with the lending authority :

Provided that in the event of a difference of opinion between the disciplinary authority and the lending authority, the services of the employee shall be placed at the disposal of the lending authority;

- (b) if the disciplinary authority is of the opinion that any of the major penalties should be imposed on him, it shall place the service of such employee at the disposal of the lending authority and transmit to the lending authority the proceedings of the inquiry for such action as it may deem necessary.

(3) If the employee submits an appeal against an order imposing a minor penalty on him under clause (a) of sub-rule (2), the same shall be disposed of after consultation with the lending authority :

Provided that if there is a difference of opinion between the appellate authority and the lending authority, the services of the employee shall be placed at the disposal of the lending authority, and the proceedings of the case shall be transmitted to that authority for such action as it may deem necessary.

33. Appeals.—[

(1) An employee may appeal against an order imposing upon him any of the penalties specified in rule 24 or against the order of suspension referred to in rule 21 and such appeal shall lie to the authority specified in Schedule I annexed to these rules.

(2) An appeal shall be preferred within one month from the date of communication of the order appealed against. The appeal shall be addressed to the appellate authority specified in Schedule I annexed to these rules and submitted to the authority whose order is appealed against. The authority whose order is appealed against shall forward the appeal together with its comments and the records of the case to the appellate authority within 15 days. The appellate authority shall consider whether the findings are justified or whether the penalty is excessive or inadequate and pass appropriate orders within three months of the date of appeal. The appellate authority may pass order confirming, enhancing, reducing or setting aside the penalty or remitting the case to the authority which imposed the penalty or to any other authority with such direction as it may deem fit in the circumstances of the case :

Provided that if the enhanced penalty which the appellate authority proposes to impose is a major penalty specified in clauses (e), (f) and (g) of rule 24 and an inquiry as provided in rule 26 has not

already been held in the case, the appellate authority shall direct that such inquiry be held in accordance with the provisions of rule 26 and thereafter consider the record of the inquiry and pass such orders as it may deem proper. If the appellate authority decides to enhance the punishment but an inquiry has already been held as provided in rule 26, the appellate authority shall give a show cause notice to the employee as to why the enhanced penalty should not be imposed upon him. The appellate authority shall pass final order after taking into account the representation, if any submitted by the employee.

34. Review

Notwithstanding anything contained in these rules, the reviewing authority, as specified in Schedule I annexed to these rules, may call for the record of the case within six months of the date of the final order and after reviewing the case pass such orders thereon as it may deem fit :

Provided that if the enhanced penalty, which the reviewing authority proposes to impose, is a major penalty specified in clauses (e), (f) or (g) of rule 24 and an inquiry as provided under rule 26 has not already been held in the case, the reviewing authority shall direct that such an inquiry be held in accordance with the provisions of rule 26 and thereafter consider the record of the inquiry and pass such order as it may deem proper. If the appellate authority decides to enhance the punishment but an inquiry has already been held in accordance with the provisions of rule 26, the reviewing authority shall give show cause notice to the employee as to why the enhanced penalty should not be imposed upon him. The reviewing authority shall pass final order after taking into account the representation, if any, submitted by the employer.

35. Service of orders, notices, etc.

Every order, notice and other process made or issued under these rules shall be served in person on the employee concerned or communicated to him by registered post at his last known address.

36. Power to relax time-limit and to condone delay.

Save as otherwise expressly provided in these rules, the authority competent under these rules to make any order may, for good and sufficient reasons or if sufficient cause is shown, extend the time specified in these rules for anything required to be done under these rules or condone any delay.

37. Removal of doubts

Where a doubt arises as to the interpretation of any of these rules, the matter shall be referred to the Central Government for its decision.

SCHEDULE I

{Sub rules 3(b), (g) and (k), 25, 33 and 34}

Category of Employees	Disciplinary Authority	Appellate Authority	Reviewing Authority
Group D	Sr. Accounts/Administrative Officer.	Financial Adviser & Secretary Chief Accounts Officer.	
Group C	Financial Adviser & Chief Accounts Officer	Secretary	Chairman
Group B	Secretary	Chairman	Board
Group A	Chairman	Board	Central Government

SCHEDULE II

{See rule 17 (4)}

RETURN OF ASSETS AND LIABILITIES ON FIRST APPOINTMENT AS ON THE 31ST
DECEMBER, 19....

1. Name of the employee (in block letters)
2. Post held and place of posting
3. Total annual income from all sources during the Calendar year immediately preceding the 1st day of January, 19....
4. Declaration

I hereby declare that the return enclosed namely, Forms I to V, are complete, true and correct as onto the best of my knowledge and belief, in respect of information due to be furnished by me under the provisions of sub-rule (4) of the rule 17 of the Oil Industry Development Board Employees (Conduct & Discipline and Appeal) Rules, 1982.

Date.....

Signature.....

- Note : -- 1. This return shall contain particulars of all assets and liabilities of the Employee, either in his own name or in the name of any other person.
2. If an Employee is a member of Hindu Undivided Family with co-parcenary rights in the properties of the family either as a 'Karta' or as a member he should indicate in the return in Form No. I the value of his share in such property and where it is not possible to indicate the exact value of such share, its approximate value. Suitable explanatory notes may be added, wherever necessary.

FORM NO. 1

Statement of Immoveable property on first appointment(s) on the 31st December 19....

(e.g. Land, House, Shops, Other Buildings, etc.)

14

SI Description of pro- No. property	Precise location (Name of Dis- trict, Division, Taluka & villa- ge in which the property is situ- ated and also its distinctive number, etc.)	Area of Land (in case of land and buildings)	Nature of land (in case of land and property)	Extent of inter- est	If not in own name, state in whose name held, and his/ her relationship, if any, to the Employee	
1	2	3	4	5	6	7

Date of ac- quisition	How acquired? (whether by purchase, mortgage, lease inheritance, gift of other- wise) and name with details of person/persons from whom acquired. (address and connection of the Employee, if any with the person/persons concerned) (Please see note 1 below).	Value of the pro- perty (see note 2 below)	Particulars of sanction of pres- cribed authority, if any.	Total Annual income from the property	Remarks
8	9	10	11	12	13

Date,

Signature.....

Note:—(1) For purpose of Column I, the term "lease" would mean a lease of immoveable property from year to year or for any term exceeding one year or reserving a yearly rent. Where, however, the lease of immoveable property is obtained from a person having official dealings with the Employee, such a lease should be shown in this column irrespective of the term of the lease, whether it is short term or long term and the periodicity of the payment of rent.

Note :—(2) In column 10 should be shown :

- (a) where the property has been acquired by purchase, mortgage or lease, the price or premium paid for such acquisition ;
- (b) where it has been acquired by lease, the total annual rent thereof also ; and
- (c) where the acquisition is by inheritance, gift or exchange, the approximate value of the property so acquired.

FORM NO. II

Statement of Liquid Assets on First Appointment as on the 31st December, 19....

- (1) Cash and Bank balances exceeding 3 months' emoluments.
- (2) Deposits, loans advanced and investments (such as share, securities, debentures, etc.)

Sl. Description No.	Name and ad- dress of Com- pany, Bank, etc.	Amount	If not in own name, name and address of person in whose name held and his/ her relationship with the Go- vernment servant	Annual income derived	Remarks	
1	2	3	4	5	6	7

Date.....

Signature.....

Note (1) : - In column 7, particulars regarding sanctions obtained or report made in respect of the various transactions may be given.

Note (2) : - The term "emoluments" means the pay and allowances received by the Employee.

FORM NO. III

Statement of Movable property on First Appointment as on the 31st December, 19....

Sl. Description of items No.	Price or value at the time of acquisition and/or the total pay- ments made upto the date of return, as the case may be, in case of articles purchase on hire-purchase or instalment basis		If not in own name, name & address of the person in whose name and his/her re- lationship with the Employee	How acquired with approximate date of acquisition	Remarks
1	2	3	4	5	6

Date.....

Signature.....

Note 1 : - In this form information may be given regarding items like (a) jewellery owned by him (total value) (b) silver and other precious metals and precious stones owned by him not forming part of jewellery (total value); (c) (i) Motor Cars, (ii) Scooters/Motor Cycles; (iii) refrigerators/air-conditioners (iv) radios/ radiograms/television sets (d) value of items of movable property individually worth less than Rs. 1,000 other than articles of daily use such as clothes, utensils, books, crockery, etc., added together.

Note 2 : - In column 5, may be indicated whether the property was acquired by purchase, inheritance, gift or otherwise.

Note 3 : - In column 6, particulars regarding sanction obtained or report made in respect of various transactions may be given.

FORM No. IV

Statement of provident fund and life insurance Policy on first appointment/as on the 31st December, 19....

Insurance Policies

Provident Funds

Sl. No. of Policy	Policy No. and date No. of Policy	Name of Insurance Company	Sum insured/date of maturity	Amount of annual Premium	Type of Provident Funds/G.P.F./C.P.F. Account No.
1	2	3	4	5	6

Closing balance as last reported by the Audit/Accounts Officer along with date of such balance

Contributions made subsequently

Total

Remarks (If there is dispute regarding balance the Figures according to the Employees should also be mentioned in this column).

7

8

9

10

Date.....

Signature.....

FORM No. V

Statement of Debts and other Liabilities on First Appointment/as on the 31st December 19....

Sl. No.	Amount	Name and address of Creditor	Date of incurring Liability	Details of Transaction	Remarks
1	2	3	4	5	6

Date.....

Signature.....

Note 1 :— Individual items of loans not exceeding three months emoluments need not be included.

Note 2 :— In column 6, information regarding permission, if any, obtained from or report made to the competent authority may also be given.

Note 3 :— The term "emoluments" means Pay and allowances received by the Employee.

Note 4 :— The statement should also include advance for purchase of conveyance, House building advance, etc. advances from the G.P. Fund, and loans on Life Insurance Policies and fixed deposits.

89 GI/88-4

